



सतर्कता संदेश

Satarkta Sandesh

अंक / Issue No. 24

नवम्बर / November, 2022

भ्रष्टाचार मुक्त भारत
विकसित भारत





Saluting the
Iron Man and the
Pioneer of National Integration

SARDAR VALLABHBHAI PATEL

on his birth anniversary.

31st Oct, 1875 - 15th Dec, 1950

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह”

सरदार वल्लभभाई पटेल

के जन्मदिवस के अवसर पर
मनाया जाता है।

विनय कुमार त्रिपाठी
VINAY KUMAR TRIPATHI



सत्यमेव जयते
75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रेलवे बोर्ड

पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय

CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
RAILWAY BOARD
EX OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

संदेश

प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह लोगों के जीवन में नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा के महत्व को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय 31 अक्टूबर से 06 नवम्बर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विषय चुना है— **“भ्रष्टाचार मुक्त भारत—विकसित भारत।”**

रेल मंत्रालय भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने में न सिर्फ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है बल्कि इसके रोकथाम तथा उन्मूलन के लिए कदम भी उठा रहा है। भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को तोड़-मरोड़ देता है और राष्ट्र की उन्नति में बाधा पहुँचाता है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इस प्रकार विकास में वृहत्तर उत्तरदायित्व निभाती है। इसलिए यह प्रत्येक रेल कर्मी का पुनीत कर्तव्य होता है कि न केवल अपने कार्य के निर्वहन में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का पालन करें, अपितु सर्वत्र भ्रष्टाचार के उन्मूलन व रोकथाम में मदद करें।

रेल मंत्रालय विकसित राष्ट्र के रूप में एक नया भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में आम जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने को प्रयासरत है ताकि विकसित राष्ट्र के रूप में नये भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह केवल तब ही संभव है जब प्रत्येक रेल कर्मी का इसमें सक्रिय सहयोग और भागीदारी हो। अन्य साझेदारों की आम भागीदारी भी भ्रष्टाचार से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर हमलोग एकजुट होकर भ्रष्टाचार मिटाने और साथ मिलकर एक नया भारत बनाने का पवित्र शपथ लें।

मैं कामना करता हूँ कि हमारे तंत्र को भ्रष्टाचार व कदाचार से मुक्त करने के प्रयास में पूर्ण सफलता मिले।

(विनय कुमार त्रिपाठी)

विनय कुमार त्रिपाठी
VINAY KUMAR TRIPATHI



अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रेलवे बोर्ड

पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय

CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
RAILWAY BOARD
EX OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

MESSAGE

Vigilance Awareness Week is celebrated every year to emphasize the importance of morality and integrity in public life. I am glad to know that Ministry of Railways is observing Vigilance Awareness Week from 31 October to 06th November, 2022. For this year's Vigilance Awareness Week, the Central Vigilance Commission has chosen the theme **"Corruption free India for a Developed Nation"**.

Ministry of Railways has been making valuable contributions in spreading awareness against corruption and also taking measures for its prevention and eradication. Corruption crumbles the vitals of the economy creating hurdles for development of nation. Indian Railways contributes substantially in the economy of the country and thus assumes greater responsibility in development. So, it becomes the pious duty of each railwayman not only to uphold the professional integrity and honesty to perform duties but also to assist in eradication and prevention of corruption in and around.

Ministry of Railways endeavor to promote integrity, transparency and accountability in public life to eradicate corruption in achieving the aim for a New India as a developed nation. It can be done only with the active support and participation of each of the railway employees and other stakeholders as public participation plays a very vital role in fighting corruption.

During this occasion, let's unite and take solemn pledge to eradicate corruption and to build a New India together.

I wish all success in this endeavor for making our system free from corruption and malpractices.

(Vinay Kumar Tripathi)



अनुपम शर्मा
महाप्रबंधक
Anupam Sharma
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



संदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 06 नवंबर, 2022 तक मनाए जाने वाली सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर “सतर्कता संदेश” का 24वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है।

“सतर्कता संदेश” इस वर्ष के थीम “भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत” को सामने लाने की दिशा में एक छोटा-सा प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन में अनाचार और कपटपूर्ण गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इससे रेल राजस्व की भी क्षति होती है। इसलिए, सभी रेल कर्मियों में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए।

“सतर्कता संदेश” के इस संस्करण को प्रकाशित करने के लिए मैं सतर्कता संगठन को बधाई देता हूँ। इस पुस्तिका में प्रकाशित केस अध्ययन, लेख, सुझाव एवं प्रणाली सुधार रेलकर्मियों का मार्गदर्शन करेंगे, साथ ही उनकी कार्यसंस्कृति एवं उत्पादकता को सशक्त करने में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

(अनुपम शर्मा)



अनुपम शर्मा
महाप्रबंधक
Anupam Sharma
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



MESSAGE

I am glad to know that Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out 24th issue of **“Satarkta Sandesh”** on the occasion of Vigilance Awareness Week, starting from 31st October to 6th November, 2022.

This year Theme is **“Corruption free India for a developed Nation.”** Bringing out the **“Satarkta Sandesh”** is a small step in this direction. We all know that there is no place for malpractice and fraudulent activities in any Organisation. It has to be realized that corrupt practices not only damage our economy but also cause loss of revenue to Railway system. Therefore, all Railway personnel are required to maintain high level of integrity and honesty.

I compliment the Vigilance Organisation of E.C. Railway for bringing out this issue of **“Satarkta Sandesh”**. The case studies, articles, guidelines and system-improvements brought out in this booklet will be useful for guiding Railway personnel and will also strengthen work culture and productivity.

(Anupam Sharma)



चंद्र वीर रमण
प्रमुख कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)
एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी



संदेश

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व पर बल देने के उद्देश्य से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष आयोग ने थीम **“भ्रष्टाचार मुक्त भारत—विकसित भारत”** चुना है जो अति प्रासंगिक है क्योंकि भ्रष्टाचार राष्ट्र की समृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारतीय रेलवे भी तदनुसार प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार को दूर करने और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित करता है।

रेल मंत्रालय का सतर्कता संगठन सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयत्नशील है। इससे शासन में सुधार आएगा जो जीवन को सुगम करेगा एवं कार्यों को आसान भी।

इस तरह के आयोजनों से भ्रष्टाचार के परिणामों के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद मिलेगी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की दिशा में लोगों को शिक्षित करने में मददगार होगी।

हम सभी सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार—उन्मूलन के लक्ष्य को सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि जनभागीदारी, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और राष्ट्र निर्माण में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी। भ्रष्टाचार निरोधी गतिविधियों का अत्यधिक प्रचार—प्रसार सतर्क भारत की परिकल्पना को आत्मसात करने में मदद करेगा जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा।

इस अवसर पर सतर्कता बुलेटिन के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन वास्तव में सभी रेलकर्मियों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद करेगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में काफी लम्बे समय तक मददगार साबित होगा।

(चंद्र वीर रमण)



Chandra Vir Raman
Principal Exec. Director (Vig.)
&
Chief Vigilance Officer



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN,
RAISINA ROAD, NEW DELHI-110001



MESSAGE

The Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week each year to emphasise the significance of probity and integrity in public life. The theme chosen this year by the Commission "**Corruption Free India for a Developed Nation**" is very relevant as corruption adversely affects the growth & development of the nation. Accordingly, like every year, Indian Railways will also carry out activities with the motive to weed out corruption and ensure integrity in public life.

Vigilance Organisation of Ministry of Railways endeavours to promote integrity, transparency and accountability in public life with the ultimate objective to bring about improvements in governance, which will facilitate ease of living and ease of doing business.

The observance of such events helps in developing awareness about the consequences of corruption and educating the public to create a corruption-free society.

We will make every effort to promote integrity and to eradicate corruption with the active support and participation of all stakeholders. I do believe that public participation plays a pivotal role in combating corruption and in nation building. Outreach activities for dissemination of anti-corruption measures and stressing the necessity of vigilant India would lead to developed India.

Publication of special edition of vigilance bulletin on this occasion would really help in spreading awareness amongst all Railwaymen and go a long way in making corruption-free India.

(Chandra Vir Raman)



सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager



सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



प्राक्कथन

पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 नवंबर, 2022 तक जारी रहने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर “सतर्कता संदेश” का 24वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है।

भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन को बढ़ावा देना समय की मांग है। राजस्व-क्षरण की रोकथाम और उपलब्ध संसाधनों से संगठन को अधिकतम उत्पादन दिलाना सतर्कता निवारण का वास्तविक उद्देश्य है। सतर्कता निवारण प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में आनेवाली जटिलता और कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें सरल बनाने या समाप्त करने एवं हमारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने में भी हमारी सहायता करता है। इस संबंध में आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

आशा है कि रेलकर्मियों को “सतर्कता संदेश” उपयोगी व रोचक लगेगी। अपने प्रभावशाली संगठन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने में पाठकों के बहुमूल्य और सृजनात्मक सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

(सुजीत कुमार मिश्रा)



सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



FOREWORD

Vigilance organisation of East Central Railway is bringing out its 24th issue of **“Satarkta Sandesh”** on the occasion of Vigilance Awareness Week, starting from 31st October to 6th November, 2022.

Promoting corruption free and transparent good governance is the need of the hour. The very purpose of preventive vigilance is to prevent areas of revenue leakages and to maximize the output of an organization within the given resources. Preventive vigilance also helps in identification of cumbersome, difficult to implement procedures and suggest ways to simplify or eliminate them to bring out transparency in our working. Your valuable suggestions in this regard are most welcome.

It is hoped that the Railwaymen would find the **“Satarkta Sandesh”** useful and interesting. I look forward for valuable and constructive suggestions from the readers to make our esteemed organization, Indian Railways, more transparent and corruption free.

(Sujit Kumar Mishra)

विषय सूची / INDEX

क्र.सं.	पृष्ठ सं.
1. भ्रष्टाचार से लड़ाई का आह्वान	02
✍ सुजीत कुमार भिश्ना, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पूमरे	
2. भ्रष्टाचार को काबू करना — चाणक्य नीति	06
✍ चेतना नन्द सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / जीएलपी / पूमरे / पटना	
3. भ्रष्टाचार मुक्त भारत — विकासशील भारत	14
✍ पी. के. सिन्हा, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक / आरडब्ल्यूपी / बेला	
4. भ्रष्टाचार मुक्त भारत — विकसित भारत	17
✍ सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, IRPS, मुख्य कार्मिक अधिकारी / आईआर / पूमरे	
5. ईमानदारी अपनी-अपनी	19
✍ रमन तिवारी, मुसतानि / चिकित्सा / पूमरे	
6. दो गज जमीन	21
✍ लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखित कहानी हिन्दी में	
7. क्या करें और क्या ना करें (Do's & Dont's)	26
✍ बी.एन.लाल, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (याता.) / पूमरे	
8. केस अध्ययन (Case Study)	
यातायात (Traffic)	30
लेखा एवं कार्मिक (Accounts & Personnel)	44
अभियंत्रण (Engineering)	56
भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा (Stores, Medical & Security)	62
संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक (S&T, Elect. & Mech.)	68
9. प्रणाली सुधार पत्र (System Improvement Letters)	76
10. कविता (भ्रष्टाचार एक रोग)	108
✍ मनोज कुमार, मुसतानि / यातायात	
11. कविता (भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत)	109
एवं (अनेकता में एकता का रूप है सतर्कता)	
✍ महादेव कुमार मंडल, जॉच निरीक्षक / पूमरे	
12. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा	112

भ्रष्टाचार से लड़ाई का आह्वान

सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे

“कोई भी विरासत ईमानदारी से समृद्ध नहीं है”

— विलियम शेक्सपीयर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त, 2022 को भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ाई का एक तीक्ष्ण आह्वान किया है। उनके भाषण से उद्धृत करते हुए—

“भाइयों और बहनो, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है।.....आम नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह कर दिया है।”

वास्तव में, भ्रष्टाचार किसी देश के प्राण-तत्व को ठीक उसी तरह खाता है जैसे दीमक किसी वृक्ष के प्राण-तत्व को। आईए, भ्रष्टाचार-प्रवण समाज में अपना छोटा-मोटा कार्य कराने के लिए पंक्ति में खड़े लोकोक्ति के अंतिम व्यक्ति के संघर्ष की कल्पना करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष की शुरुआत तो उसके जन्म से हो जाती है जब उसे वह चिकित्सा देख-भाल नहीं मिलती जिसका वह हकदार होता है। जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करना हो या मृत्यु प्रमाण-पत्र, इन सबके लिए, उसे एक या कइयों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। अपना कोई भी कार्य करवाने के लिए उसे कार्यालय के किसी न किसी व्यक्ति को रिश्वत देना ही होता है। उसे हमेशा रिश्वत देना ही पड़ेगा— यही, एकमात्र शाश्वत सत्य स्थिर रह जाता है। उसकी यह लड़ाई निरंतर चलने वाली और संक्रामक है।

इस संघर्ष और आम लोगों के दुःख का मूल कारण है— कुछ अधिकारी, क्लर्क अथवा पुलिसकर्मी का अतिरिक्त पैसा कमाने का लोभ जिसके वे कानूनन अधिकारी नहीं हैं। विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार किसी को अच्छा नहीं छोड़ता। कोई पुलिसकर्मी अपने गृह नगर के रजिस्ट्रार कार्यालय से विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने जाता है तो उसे रजिस्ट्रार को रिश्वत देना होता है। ठीक उसी तरह यदि कोई रजिस्ट्रार अपने गृह-नगर के पुलिस थाना से अपने पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन चाहता है तो उसे भी रिश्वत देना होता है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार का यह दुष्क्रम किसी को भी अच्छा नहीं छोड़ता और यह किसी एक या सबका उत्पीड़न करता है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के इस दुष्क्रम से हम लड़ें और उसे नष्ट करें। निरंतर चलनेवाला और सर्वव्यापी यह भ्रष्टाचार केवल तभी समाप्त हो सकता है जब सबसे पहले हम ईमानदारी के रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चलने का संकल्प लें। इसका अर्थ है हमें किसी प्रकार के निजी

ARTICLE

A CLARION CALL TO FIGHT CORRUPTION

 **Sujit Kumar Mishra**
Sr. Dy. General Manager/ECR

“No legacy is as rich as honesty.”

- William Shakespeare

On 15th August, 2022, Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi made a passionate call from the ramparts of Red Fort to fight the filth of corruption prevalent in India. To quote from his speech,

“Brother and sisters, the corrupt are eating away the country like termites..... The lives of ordinary citizens have been ruined by corruption.■

Indeed, corruption eats the vitals of a nation similarly as the termites eats the vitals of a tree. Let us try to visualize the struggle of the proverbial last man in the row to get his petty jobs done in a corruption prone society. The struggle starts from his birth itself as he does not get the medical care due to him. He has to grease the palm of one and all to literally procure et all - be a birth certificate or a death certificate. He needs to bribe someone in some office to get his some work done. The only fact that remains constant is that he has to bribe always. The struggle is perennial and endemic.

The root cause of this struggle and pain of ordinary citizen is greed of some officer, clerk or policeman to earn that extra money which they do not deserve legally. The irony is that corruption does not leave anybody untouched. A policeman will have to pay a bribe to the registrar if he goes to his hometown to get a marriage certificate from registrar office. Similarly, the registrar will have to pay a bribe if he wants a police verification done for his passport from his home town police station. Thus, the vicious circle of corruption does not leave anybody and tortures one and all.

It is this vicious circle that our Honourable Prime Minister wants us to fight against and destroy. This endemic, perennial and all pervading corruption can end only when we first take the pledge to follow the path of honesty strictly. This means we

should never use our public position for any private gain. We will have to teach our children the benefits of simple living and high thinking. It is better to live within one's honest means and have a good night sleep than to earn through dishonest means and lose one's morale, sleep and health. The basic difference between the right source of earning and the wrong source of earning has to be explained to one and all. The age old maxim "Honesty is the best policy" has to be ingrained in the psyche of each and every individual.

The other part of Honourable Prime Minister, Sri Narendra Modi's speech is equally important. To quote once again from his speech,

"My dear countrymen, it is a matter of great concern that although abhorrence of corruption in the country is visible and expressed, sometimes the generosity towards the corrupt is shown which is not acceptable in any country.

And many people have gone so shameless that despite being convicted in court, having been proved corrupt, having been sentenced for imprisonment, while still serving in jail, they continue to glorify, take pride and continue to elevate their status. Unless there is hatred towards filth in the society, the consciousness for cleanliness does not arise, unless we develop hatred towards the corrupt and corruption, until we relegate these people to social shaming, such mentality will not change. And that's why we need to be very aware of corruption and corrupt people."

A corrupt person needs to be named and shamed. He should be boycotted by the society and looked down upon as a common thief is done. A corrupt person is no better than a thief because he is illegally stealing others hard earned money by demanding a bribe in lieu of a work. A corrupt politician or a bureaucrat who demands a cut or commission to award a contract or sign a bill is no better than a robber as he uses his power or position to rob the citizens or nation of its wealth. The day we the people of India as a nation on a whole, start assigning the status of a robber or thief to corrupt, corruption will simply vanish.

The government is doing its bit to fight corruption by introducing such schemes like direct benefit transfer to the bank account of beneficiaries and getting the corrupt punished but India will become a truly developed country when we citizen take a pledge to do our duty honestly and efficiently.

*

भ्रष्टाचार को काबू करना-चाणक्य नीति

 चेतना नन्द सिंह

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / जीएलपी / पूमरे / पटना

प्रसिद्ध फिल्म गॉडफादर में डॉन कॉर्लियन संयुक्त राज्य क्राइम सिटी पर छाए हुए थे क्योंकि ताकतवर राजनेता, न्यायाधीश तथा पुलिसवाले कथित तौर पर उनकी जेब में थे। क्या यह सामान्य लगता है.... वर्ष 1903 में सं. राज्य के बहुत सारे राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप तथा अनुगामी सजा एवं कारावास से बचने के लिए देश से पलायन कर गए। तब सं. राज्य के राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने कहा था 'घूसखोरी' से ज्यादा जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अन्य अपराध केवल एक कानून को तोड़ने वाले होते हैं जबकि भ्रष्टाचार सभी कानूनों की जड़ पर हमला करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति चोर से भी बदतर होता है, क्योंकि चोर एक व्यक्ति को लूटता है जबकि एक भ्रष्ट अधिकारी पूरे नगर या राज्य को लूटता है..... वह उतना ही बुरा है जितना कि एक हत्यारा क्योंकि हत्यारा कानून के खिलाफ जाकर एक की जान लेता है जबकि भ्रष्ट अधिकारी और इसको बढ़ावा देने वाला व्यक्ति समान रूप से राष्ट्र की हत्या पर ही निशाना साधते हैं।'

विकासशील देशों में स्थानिक भ्रष्टाचार अक्सर असुधार्य प्रतीत होता है। कभी समाप्त न होने वाला, हर जगह व्याप्त, हताश करने वाला, तथा ऐसा आधार जिसके गिर्द व्यावसायिक लेन-देन होता है। भारत इसका अपवाद नहीं है। तथापि अधिकांश देश जहां वर्तमान में अपेक्षाकृत लोगों में अधिक ईमानदारी है, अपने इतिहास में ऐसे भ्रष्टाचार से ही त्रस्त थे। भ्रष्टाचार से आजादी की पहले से अपेक्षा है जिससे कि सही मायने में विकास प्राप्त किया जा सके। यूएसए जैसे बड़े देशों द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलना एक व्यावहारिक कार्य हो सकता है। 18वीं एवं 19 वीं सदी प्रारम्भ, सं.रा. में (यू एस) की स्थिति निवर्तमान भारत की स्थिति से बिल्कुल मिलती-जुलती थी।

विलियम बैक्सटर, एक ब्रिटिश सांसद थे जिन्होंने संयुक्त राज्य का बहुत अधिक भ्रमण किया था, ने 1855 में लिखा 'सेवा और अनुग्रह को वहाँ खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था, पौर प्रमुख (आल्डरमैन) और परिषद् के सदस्य (काउंसिलमैन) ने इन स्थितियों को तेजी से अमीर बनने के अवसर के रूप में देखा और प्रत्येक सप्ताह वहाँ स्वयं सुरक्षित रहते हुए ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाता था।

ARTICLE

TAMING CORRUPTION -THE CHANAKYA'S WAY

 C.N.Singh, CAO/GLP/ECR/Patna

In the legendary Movie Godfather, Don Corleone dominated the US crime city as Powerful Politicians, Judges, and Policemen were supposedly in his pockets. Does it Sound familiar... In the year 1903 many US politicians fled the country to avoid facing corruption charges and subsequent punishment and incarceration. Then US President Roosevelt thundered “there can be no crime more serious than bribery. Other offenses violate one law while corruption strikes at the foundation of all law, he is worse than the thief for the thief robs an individual while the corrupt official plunders an entire city or state... he is as wicked as the murderer for the murderer only takes one life against the law while the corrupt officials and the man who corrupts the official alike aim at the assassination of the Commonwealth itself. “

Endemic corruption in developing countries often seems intractable. Never- ending. All pervasive, depressing, and fulcrum around which all business transactions happen. India is no exception. Yet most countries that currently have relatively high public integrity were, at an earlier point in their history, afflicted with similar corruption. Freedom from corruption is a prerequisite to achieving true development. A pragmatic doable way may be to follow the path treaded by bigger countries like the USA. The Conditions in the US in the late 18th century and early 19th century were quite similar to the present Indian stage.

William Baxter, a British Member of Parliament who traveled widely in the United States, wrote in 1855 “offices and favors were there openly bought and sold; that aldermen and councilmen accepted these situations for the avowed purpose of getting quickly rich; and that jobs every week were there perpetrated with impunity”.

एक लोकतांत्रिक देश में जड़ जमाए भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र को ऐसे तंत्र में बदलना संभव है जिसमें लोक भ्रष्टाचार यद्यपि मौजूद हो, फिर भी उसे खराब समझा जाता हो। भ्रष्टाचार तत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना पैर पसारता है। भ्रष्टाचार ईमानदारी एक स्वयं अभिप्रेत समाजिक संतुलन का प्रतिफल हो सकता है। जब समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो लोगों को भ्रष्टाचार में शामिल होने का अधिक प्रोत्साहन मिलता है, कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि जब बाकी सभी भ्रष्ट हैं तो ईमानदारी पूर्वक कार्य करना निरर्थक है। और भ्रष्टाचार को काबू करना फिल्मी हीरो के ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए ही संभव है या बिना किसी मूर्त योजना या सामयिकता के पाखंडपूर्ण सेमिनारों में चर्चा परिचर्चा के जरिए।

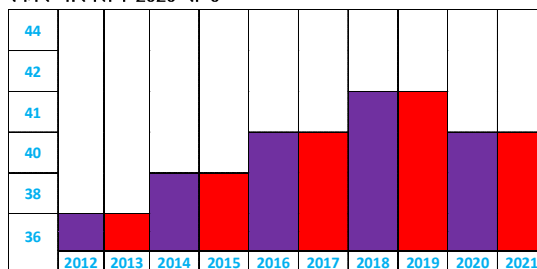
जबकि समस्या से मुकाबला करने का प्रयास लाभप्रद हो सकता है फिर भी मूलरूप से इस संस्कृति को बदलना निराशाजनक लगता है।

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल : भारतीय भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक :- भारत

स्कोर 40 / 100

रैंक 85 / 180

स्कोर परिवर्तन 2020 से 0



देश के विकास की स्थिति मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय से आंकी जाती है। प्रति व्यक्ति उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देश को विकसित कहा जा सकता है। दूसरा आर्थिक मापदंड है औद्योगीकरण और महत्वपूर्ण सामाजिक भिन्नता जैसे उच्च मानव विकास सूचकांक जिसके अन्तर्गत आता है साक्षरता दर, महिला सशक्तीकरण, निम्न मृत्यु दर, एवं अन्य में सुशासन।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है.....च. अमृतकाल का पंचप्राण-विकसित भारत का

It is possible for a democratic country to make a transition from a systemically corrupt political system to a system in which public corruption, though still present, is aberrational. Subject corruption sprouts its tentacles in different walks of life. Corruption (integrity) can be a self-reinforcing social equilibrium: When corruption is widespread in a society, people have stronger incentives to engage in corruption; any single individual may feel that it's pointless to act honestly when everyone else is corrupt, and the possibility of taming corruption is either through bombastic actions of the filmi hero or only with discussions in sanctified seminars with no concrete plan or timelines.

While efforts to keep the problem at bay may be worthwhile, fundamentally changing the culture seems hopeless.

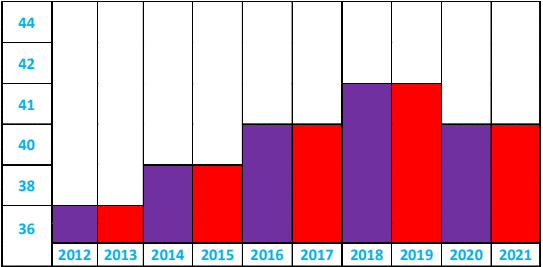
Transparency International: Corruption Perception Index of India

India

Score 40/100

Rank 85/180

Score change 0 since 2020



The status of development of a country is mostly judged by income per capita. A country with a high gross domestic product per capita can be described as **developed**. Another economic criterion is industrialization & important social variable like high human development index that covers literacy rates, women empowerment, falling mortality rates, and good governance, among others.

Prime Minister Narendra Modi has already given a clarion call to make our country a developed state ...The PanchPran of

लक्ष्य। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 76 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से उनके भाषण के दौरान उन्होंने कहा 'भ्रष्ट लोग देश को खा रहे हैं जैसे दीमक.....

मुझे इसके विरुद्ध लड़ना है, लड़ाई को तेज करना है और निर्णायक बिंदू पर पहुंचाना है। ताकि मेरे देश के 130 करोड़ लोग मुझे आशीर्वाद और समर्थन दें। आज मैं आपका समर्थन और सहयोग पाने हेतु आया हूँ ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूँ। मुझे आशा है कि देश इस लड़ाई में विजयी होगा।

भारत को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति (अमेरिकी डॉलर में) लगभग 2,000 डॉलर है जबकि विकसित देशों का औसत जीडीपी 25,000—50,000 है, वहीं चीन का 12,556 डॉलर है। अगले 25 वर्षों में 7—20 गुणा प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि के लिए भारत को एक लंबा सफर तय करना है। मिकिजी अपनी 2020 की रिपोर्ट में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण मानदंडों को चिह्नित किया है। ऐसा लगता है कि अनुकूल/पर्याप्त लाभकारी रोजगार सृजन करने में, मजबूत जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष 12 लाख लाभकारी गैर कृषि कार्य की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में वास्तविक रोजगार सृजन केवल 4 लाख ही है। जहां तक 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की बात है, तो उसके लिए भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, वर्तमान आधारभूत संरचनाओं का नव सृजन और उन्नयन करना अति महत्वपूर्ण है। और इसके लिए प्रतिस्पर्द्धा के दौर में उभरते हुए भारत को वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 8—8.5 प्रतिशत को प्राप्त करना होगा। उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में अंतर की भरपाई करने के लिए ज्यामितीय ढंग से वृद्धि की आवश्यकता होगी।

सभी सकारात्मक कार्यों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सारी समस्याओं की जड़ है जो सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग में बाधा है। यह सूचारूपूर्वक चल रही व्यवस्था को प्रभावित करता है और अव्यवस्था की ओर मोड़ देता है।

अपने अनुसंधान पत्र/रिपोर्ट में : 'पोषित व्यवस्थागत भ्रष्टाचार: समकालीन विमर्श हेतु अमेरिकी अनुभव और इसके निहितार्थ/उलझाव' प्रो. मेरियनो प्लेटेंटिनो क्यूलर और मैथ्यू सी. स्टीफेंसन इस बात पर जोड़ देते हैं कि भ्रष्टाचार निम्न प्रति व्यक्ति आय, गरीबी और असमानता में भारी अंतर, अस्वस्थता, निम्न नवाचार/नव प्रवर्तन और उद्यम, सूक्ष्म आर्थिक संकट का बड़ा खतरा, जन विश्वास में कमी और उच्च स्तर पर राजीनीतिक अस्थिरता

AmritKaal- Goal of developed India.

He has set an ambitious target of making India a developed nation by 2047. During his speech at Red Fort to mark the 76th Independence, he said “the corrupt are eating away the country like termites. I have to fight against it, intensify the fight and have to take it to a decisive point. So, my 130 crore countrymen, please bless me and support me! Today I have come to seek your support and cooperation so that I can fight this battle. I hope the country becomes victorious in this war.”

Developed nation status for India requires concrete steps. The GDP per capita (in US Dollars), India is around 2000 Dollars wherein the average Developed country has 25000 – 50000 dollars wherein china has 12,556 Dollars. India has a long way to go when in the next 25 years GDP per capita has to increase by 7 to 20 times. Mckinsey in their report 2020 has identified key parameters to achieve the desired goal. It looks at India’s critical challenge to achieve strong GDP growth in order to create sufficient gainful jobs. By 2030, 90 million workers will require gainful jobs. 12 million gainful nonfarm jobs per annum are required whereas the present actual employee generation is only 4 million. To achieve the target of a \$5 trillion economy by 2025, and meet the aspirations of the citizens of India, creating new and upgrading existing infrastructure will be the key to raising India’s competitiveness for which annual GDP growth required is 8-8.5%. The manufacturing & Construction sector’s need to grow geometrically to fill the gap.

The common enemy to all positive actions is Corruption. Root and bane of all problems Corruptions act as an impediment in pathways of positive change as it pressurizes the system from smooth working to deflecting southwards.

In their Research Paper, “TAMING SYSTEMIC CORRUPTION: THE AMERICAN EXPERIENCE AND ITS IMPLICATIONS FOR CONTEMPORARY DEBATES” Prof MARIANO-FLORENTINO CUELLAR & MATTHEW C. STEPHENSON emphasize that Corruption is associated with lower per capita income, higher levels of poverty and inequality, worse health outcomes, less innovation and entrepreneurship, greater risk of macroeconomic crises, lower levels of public trust, and higher

और हिंसा से संबद्ध है। देश की उन्नति के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन इसका आवश्यक रूप से पूर्ण शर्तिया इलाज है।

अमेरिका में इस अध्ययन से चार मुख्य बातें/सीख उभर कर आई हैं.....

- (1) एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए व्यवस्थित भ्रष्टाचार से विपथनकारी भ्रष्टाचार में संक्रमण संभव है।
- (2) संघीय सरकार के आकार में वृद्धि, बड़े परिवर्तन और सुधार को लागू करना आसान हो जाता है।
- (3) बिग बैग सुधार एक बड़े लोकतंत्र में काम नहीं करते बल्कि छोटे-छोटे निरंतर सुधार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं।
- (4) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित सुधारों के अलावा दंड और असामाजिक तत्व को पकड़ने का प्रयास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए विश्वसनीय संकेत भेजे जाने चाहिए।

राजमार्ग नेटवर्क (पिछले दशक में दुगुना), हवाई यात्री यातायात (तीन गुना वृद्धि), बैंक खातों की कवरेज 8 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 8 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ भारत सही रास्ते पर चल रहा है। कई अविश्वसनीय उपलब्धियां पहले ही हासिल की जा चुकी हैं लेकिन अभी काफी दूरी पार करना बाकी है।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारत की ठोस योजना को मौजूदा नियमों के तहत नौकरशाही/राजनीति से बाधक तत्वों, बुरे लोगों को बाहर निकालने जैसे छोटे सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ना होगा जहाँ आलसी, उदासीन और धोखेबाज लोक सेवकों को दरवाजा दिखाया जा सकता है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर चोरी जैसे काले धन के स्रोत से चरणबद्ध तरीके से निपटा जा सकता है। स्वतंत्र मीडिया और राजनीतिक दलों की पारदर्शी वित्त पोषण/फंडिंग इस दिशा में सक्रिय हो सकती है। आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए डिजिटलीकरण और फेसलेस सरकार की उपस्थिति रिश्ततखोरी को समाप्त करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। अंततः भ्रष्टाचार मन के भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है। सच्ची सार्वजनिक सेवा के लिए एक ठोस दिमाग और लगन से परेशानी मुक्त दैनिक लेनदेन की जा सकती है। छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक विकसित देश के रास्ते पर चलने के लिए भ्रष्टाचार के दानव को मारना और खत्म करना ही होगा।

*

levels of political instability and violence. Eradication of corruption becomes a necessary precondition for the development of the country.

Four important lessons which emerged from this study of the US are:

1. It is possible for a Large democratic country to transition from systematic corruption to aberrational corruption
2. With the increase in the size of the Federal Govt, major changes & Reforms implementation becomes easy
3. Big bang reforms do not work in a large democracy rather small continuous reforms do lead to a corruption-free system
4. Other than systematic improvements to eliminate corruption, punishments, and efforts to catch the bad apples play a significant role as credible signals must be sent to gain the confidence of the public at large.

India gallops on right track with giant steps taken in Highway network (Double in last decade), Air passenger traffic (three-fold increase), bank accounts coverage from 8% to 45 %, Internet users increase from 8% to 43 %. Many unbelievable achievements have already been done but many more miles remains to be conquered.

India's concrete plan to end corruption has to be led through small reforms like weeding out bad wood from bureaucracy/politics under existing rules only where lazy, apathetic & fraudulent public servants may be shown the door. Source of black money like tax evasion direct /Indirect may be tackled in a phased manner. Independent media & transparent funding of political parties may be actives in this direction. Digitization & faceless govt. presence for common citizen's day-to-day requirements can go a long way in eliminating bribery. Character building is the least prioritized subject in schools & colleges. Ultimately corruption erupts from the corruption of minds. A solid mind & penchant for True public service can lead to hassle-free daily transactions. Small steps may yield giant changes. Demon of corruption has to be killed and finished to walk on the way to a developed country.

*

भ्रष्टाचार मुक्त भारत : विकासशील भारत

 पी.के.सिन्हा,

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक/आरडब्ल्यूपी/बैला

भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, सम्प्रदाय, समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। इसमें केवल छोटी सी इच्छा और अनुचित लाभ के लिए सामान्य जन के संसाधनों की बर्बादी की जाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति के विकास के साथ ही राष्ट्र पर भी पड़ रहा है और यही समाज और समुदायों के बीच असमानता का बड़ा कारण बन चुका है। साथ ही ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से राष्ट्र के प्रगति और विकास में बाधा बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है जो पूरे भारत में तेजी से बढ़कर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। अन्य बातों के अलावा देश के विकास और प्रगति पर भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश विकासशील देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

भारत में भ्रष्टाचार के कारण : —

हमारे देश में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत अधिक है। इसके कई कारण हैं—

शिक्षा की कमी

शिक्षित लोगों से भरे समाज को कम भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित और भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करेंगे। हमारे देश में नैतिक शिक्षा का अभाव है जिससे लोग सही और गलत आचरण का अंतर न कर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं।

असंतोष

जब किसी संसाधन की कमी होती है तो अभाव महसूस होता है और अभाव के कारण कष्ट होता है एवं व्यक्ति भ्रष्ट आचरण के लिए विवश हो जाता है।

बेरोजगारी या रोजगार के अवसरों में कमी

रोजगार कि उपलब्धता, योग्य युवाओं की संख्या की तुलना में कम है एवं नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलती हैं। इससे लोगों में असंतोष और अधिक कमाई का लालच उन्हें भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

लालच और बढ़ती प्रतियोगिता

बाजार में लालच और बढ़ती प्रतियोगिता भ्रष्टाचार के बढ़ने के कारण भी हैं। लोग इन दिनों बेहद लालची बन गए हैं। वे अपने रिश्तेदारों और मित्रों से ज्यादा कमाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं।

पहल का अभाव

हर कोई देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता है और इस दिशा में कुछ भी नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना करता है। लेकिन क्या हम अपने स्तर पर इस मुद्दे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम नहीं कर रहे। जान-बूझकर या अनजाने में हम सब भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। कोई भी देश से इस बुराई को दूर करने के लिए पहल करने और टीम के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी।

सख्ता दंड की कमी

हमारे देश के लोग भ्रष्ट प्रथाओं जैसे कि रिश्वत देना और लेना, आयकर का भुगतान नहीं करना, व्यवसाय चलाने के लिए भ्रष्ट माध्यमों का सहारा लेना आदि का पालन करते हैं। लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। यहां तक कि अगर लोग पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें इसके लिए गंभीर रूप से दंडित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। दंड देने में विलम्ब भी भ्रष्टाचार मुक्ति के मार्ग में बाधक है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण

भ्रष्टाचार के कारणों के बारे में सभी को पता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार समस्या के कारण को पहचान लिया तो आधा काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है। अब समस्या पर चर्चा करने की बजाए समाधान ढूँढने का समय है।

भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जिम्मेदारी हर नागरिक को लेनी चाहिए क्योंकि अगर यह समस्या ऐसी ही चलती रही तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने वाली प्रत्येक समस्या को उसकी जड़ों समेत हटा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जनसंख्या की बढ़ती दर के कारण अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी होती है जो भ्रष्टाचार का कारण बनता है। इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए हर पहलू पर काम

भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत

✍ सुदेश चन्द्र श्रीवास्तव, IRPS
मुख्य कार्मिक अधिकारी / आईआर

विकास एक सतत् एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। अतएव, विकसित राष्ट्र की अवधारणा गत्यात्मक रही है। विकसित एवं उन्नत भारत की परिकल्पना भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है जिसके अनुसार भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता; बन्धुत्व एवं व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो।

विकास के उक्त मानकों के अनुसार “विकसित भारत” का लक्ष्य तभी संभव है जब हम सभी हर स्तर पर, हर दिशा में, हर क्षेत्र में संगठित होकर सम्यक् रूप से विहित कर्तव्यों का सत्य निष्ठा के साथ निर्वहन करें। आज़ादी के पश्चात् हमारा देश हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा है और हम सभी भारतवासियों की निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता का ही परिणाम है कि हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। यह सत्य है कि हम सभी गति के साथ प्रगति कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से जिस रफ़्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी कार्य प्रणाली पहले से और अधिक सशक्त, पारदर्शी, समदर्शी और विकासोन्मुखी हुई है। परन्तु, विडम्बना यह भी है कि हमारा देश किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार से भी सामना करता रहा है जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद हम अभी भी संतुलित, सर्वांगीण तथा समेकित विकास से दूर हैं और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हमारा नाम दर्ज होना शेष है। भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में अवरोध का कार्य करता रहा है। अतः भारत को “विकसित देश” बनाने के लिए भारत में भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश बनाना आवश्यक है।

भ्रष्टाचार परिस्थितिजन्य गंभीर समस्या है, लेकिन इसका उन्मूलन संभव है। वर्षों के व्यतिगत अनुभव, अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न स्थानों पर कार्य के दौरान व्यापक पैमाने पर मुलाकात और संवाद के आधार पर मेरा मानना है कि 99.99 प्रतिशत लोग मूलतः ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं तथा जनहित में कार्य करने की भावना रखते हैं। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति अथवा कोई भी चोर,

‘ईमानदारी अपनी-अपनी’

 रमन तिवारी, मुसतानि / चिकित्सा / पूमरे

मित्र के बुलावे पर मैं एक सेमिनार में पहुँचा। पहुँचने पर देखा कि सेमिनार हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। किसी तरह मुझे भी एक सीट मिल पाई। देर होने की वजह से सेमिनार का कुछ अंश मुझसे छूट गया था। स्पीकर महोदय का हिंदी सुनकर ऐसा लगा मानों वे चेन्नई से रहे होंगे। सेमिनार को मैं बड़े ध्यान से सुनने लगा। स्पीकर महोदय ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हॉल में बैठे सभी श्रोताओं से एक प्रश्न किया— अच्छा, एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप ईमानदार हैं? प्रश्न पूछते ही सभी लोग संकोच में पड़ गए परंतु धीरे-धीरे हाथ ऊपर सभी लोग अपने-अपने हाथ ऊपर उठाने लगे और कुछ ही देर में सारे हाथ ऊपर उठे हुए नज़र आने लगे। स्पीकर महोदय ने ताली बजाकर सबका स्वागत किया और सभी से हाथ नीचे करने का आग्रह किया। माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। तदोपरांत स्पीकर महोदय ने पुनः एक दूसरा प्रश्न किया — अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप ईमानदार नहीं हैं? इस प्रश्न को सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया किसी का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर पता चला कि पीछे बैठे एक शख्स का हाथ उठा हुआ था। चूँकि इस बार वह हाथ उठाने वाला अकेला शख्स था, इसलिए स्पीकर महोदय ने उसे मंच पर आमंत्रित किया। सभी लोग टकटकी लगाये उस शख्स की ओर बढ़ी शर्शकित निगाहों से देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है जो ये अपने आपको ईमानदार नहीं मानता ? मंच पर आते ही स्पीकर महोदय ने दोनों हाथों से स्वागत करते हुए उस शख्स से कहा — हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, जो भरी सभा में आपने अपनी कमी को स्वीकार करने का साहस दिखाया। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उस शख्स से पूछा कि आपमें ऐसी क्या कमी है, जिसकी वजह से आप अपने को ईमानदार नहीं मानते ? स्पीकर महोदय की बात सुनकर उस शख्स ने बड़ी विनम्रता से जवाब देना शुरू किया। सर, ऐसा है कि आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि सिर्फ रिश्तव नहीं लेना ही ईमानदारी है, परंतु मेरा मत इससे थोड़ा भिन्न है। मेरे हिसाब से ईमानदारी अपने-आप में एक बहुत बड़ा और व्यापक शब्द है। ईमानदारी को केवल

ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ

 लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखित कहानी हिन्दी में

लियो टॉलस्टॉय (1828–1910) मूलतः रूसी लेखक थे लेकिन वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उन्होंने अनेकों कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे हैं जिन्हें विश्व साहित्य में उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त है। प्रस्तुत है लियो टॉलस्टॉय की ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी जो उन्होंने 1886 में बच्चों के लिए लिखी थी –

रूस में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी से हुई थी जबकि छोटी बहन की शादी गाँव में रहने वाले एक किसान से हुई थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने उसके गाँव आई। फुर्सत के पलों में जब दोनों बहनें बातचीत करने बैठीं तो बड़ी बहन अपनी अमीरी की गुणगान करते हुए कहने लगी – ‘शहर में हम बड़े ठाठ से रहते हैं। बड़ा-सा घर, बाग-बगीचे, नए-नए फैशन के सुन्दर-सुन्दर कपड़े, खाने को ढेरों नए-नए स्वाद वाली चीजें, तमाशे, थिएटर, घूमने को बहुत सारी जगहें हैं। सच में बहुत मजा आता है। मैं तो कहती हूँ कि हमारा जीवन तुम्हारे इस गाँव के जीवन से बहुत बेहतर है।’ गाँव में रहने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन का बात खल गई। वह भी अपने ग्रामीण जीवन की तारीफ करने हुए बोली – ‘ये सच है कि गाँव का जीवन उत्तना सुन्दर और चकाचौंध भरी नहीं है जितना आपके शहर में है। हमें कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है। जमीन हमें हमेशा खाने के लिए पर्याप्त संसाधन दे देती है जबकि शहर में अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता है। तुम्हारे पति को जुए और शराब की लत लग सकती है। उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है लेकिन गाँव में ऐसा कोई प्रलोभन न के बराबर है। मेरे पति मेहनती ईसान हैं और बुरी चीजों से कोसों दूर हैं।’

छोटी बहन का पति, जिसका नाम पखोम था, वहीं पास ही में ओसारे में लेटा हुआ था और दोनों बहनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि उसकी पत्नी कुछ भी गलत नहीं कह रही है। गाँव का जीवन सचमुच शहर की तुलना में काफी बेहतर है लेकिन उसके पास बस एक ही कमी है और वह है जमीन। अगर उसके पास थोड़ी और जमीन होती तो उसका जीवन और भी सुख शान्ति से भर जाता। फिर एक दिन उसने सुना कि उसके इलाके का जमींदार अपनी जमीन किसानों को बेच रहा है। खुद उसका पड़ोसी पचास एकड़ जमीन का सौदा करके आया था।

पखोम ने अपनी पत्नी से कहा — 'देखो हमारा पड़ोसी जमींदार से जमीन खरीद रहा है। हमें भी कुछ जमीन खरीदनी चाहिए।'

अब उसने जमीन के लिए पैसों का इंतजाम करना शुरू किया। कुछ पैसे अपने साले से उधार लिए तथा अपने बेटे को दूसरे किसानों के यहाँ काम पर लगाकर वहाँ से पेशगी के रूप में रुपये लिए और पच्चीस एकड़ जमीन का टुकड़ा खरीदने में कामयाब रहा जिसमें भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा-सा झुरमुट था। अब पखोम बहुत खुश था। इस बार उसके यहाँ भरपूर फसल हुई जिससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब उसके घर में शान्ति और खुशी का माहौल था लेकिन ये माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अक्सर पड़ोसियों की गायें उसके खेतों में आ जाती थीं और फसलों को नुकसान पहुँचाती थी। एक दिन, एक यात्री किसान ने रात बिताने के लिए पखोम के घर में जगह मांगी। पखोम ने उसका स्वागत किया। रात्रि-भोजन के दौरान किसान ने पखोम से कहा — 'मैं लोअर वोल्गा से आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छी जमीन है और सस्ती भी। मेरे गाँव के बहुत से लोग वहीं जाकर बस गए हैं और अमीर हो गए हैं।'

किसान की बात सुनकर पखोम ने सोचा कि मैं यहाँ गरीबी में क्यों रहूँ। क्यों न वोल्गा में बसकर मैं भी अपनी स्थिति और बेहतर कर लूँ। अतः उसने एक बार वोल्गा जाकर वस्तुस्थिति का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगले पतझड़ में पखोम वोल्गा में था। उसके घर रुकने वाले अजनबी किसान ने जैसा बताया था, वहाँ सब वैसा ही था। बहुत अच्छी और सस्ती जमीन थी। पखोम खुशी-खुशी घर लौटा। पखोम ने अपनी सारी जमीन और संपत्ति बेचकर बसंत ऋतु के आते-आते अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए वोल्गा चला गया। वोल्गा के किसानों की पंचायत ने पखोम का जोरदार स्वागत किया। जितने पैसे वह लाया था उतने में उसे पहले के मुकाबले पाँच गुना अधिक जमीन मिल गयी। अर्थात् अब वह 125 एकड़ जमीन का मालिक बन गया था। उसने वहीं अपना घर बनाया, बैल खरीदे और खेती करना शुरू कर दिया। सबकुछ पहले के मुकाबले अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ ही समय बाद पखोम एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट अनुभव करने लगा। बात दरअसल यह थी कि पखोम के खेत इकट्ठे नहीं थे वे दूर-दूर फैले हुए थे। उसे एक खेत से दूसरे खेत जाने में कठिनाई होती थी। उसने दूसरे अमीर किसानों को देखा था जिनके खेत इकट्ठे थे और वे अपने खेतों के बीच मकान बनाकर आराम से रहकर खेती करते थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी ऐसी ही इकट्ठी जमीन खरीद सकूँ और उसमें अपना मकान बनाकर रह सकूँ तो जीवन में चैन की सांस ले सकूँगा। संयोगवश उसे एक किसान मिल गया जो अपनी बारह सौ एकड़ जमीन एक हजार रूबल में बेचने को तैयार था। पखोम ने उस किसान से जमीन की बात कर ली और पैसों का इंतजाम भी कर लिया लेकिन इससे पहले

कि सौदा हो पाता, एक अजनबी व्यापारी रात बिताने के लिए पखोम के घर रुकने आ गया...

रात में बातचीत के दौरान व्यापारी ने बताया — 'मैं बहुत दूर बश्किर प्रदेश से आया हूँ। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। उनके पास इतनी जमीनें हैं कि उन्होंने मुझे मात्र एक हजार रूबल में बारह हजार एकड़ जमीन बेच दी। इतनी सस्ती जमीन धरती पर शायद ही कहीं मिले और जमीन भी ऐसी जो सोना उगलने वाली उपजाऊ, जिसके बगल में ही नदी बहती है।' व्यापारी की बात सुनकर पखोम ने सोचा कि मैं यहाँ बारह सौ एकड़ के लिए एक हजार रूबल क्यों दूँ जब मुझे इतने ही पैसों में दस गुना ज्यादा जमीन मिल सकती है। उसने जमीन का सौदा स्थगित किया और व्यापारी की बातों की सच्चाई पता लगाने के लिए बश्किर देश जाने का निश्चय कर लिया।

अपने परिवार को वहीं छोड़ और एक विश्वस्त नौकर को साथ लेकर पखोम बश्किर देश की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले एक शहर से उसने बश्किरवासियों के लिए कुछ उपहार खरीदे और कुछ दिनों में वहाँ पहुँच गया।

व्यापारी ने जैसा बताया था, बश्किर को उसने उससे बढ़कर ही पाया। वहाँ के लोग बड़े खुशमिजाज और मिलनसार किस्म के थे। उन्होंने पखोम का बड़े ही दोस्ताना ढंग से स्वागत किया। पखोम ने भी अपने साथ लाये उपहार उन लोगों के बीच बाँटे। रात में उन लोगों ने पखोम को एक आरामदायक तम्बू में ठहराया और पूछा — 'आप इतनी दूर से आये हैं, बताइये हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?' पखोम ने कहा — 'मैं यहाँ आप लोगों से जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे गाँव की मिट्टी खराब हो गई है जो अब उपजाऊ नहीं रही और जमीन भी मेरे हिसाब से बहुत कम है।' बश्किरों ने कहा — 'हम आपको जितनी चाहिए उतनी जमीन दे देंगे लेकिन इसके लिए हमारे सरदार की अनुमति आवश्यक होगी। सरदार आते ही होंगे, उनसे पूछकर ही हम कोई जवाब दे सकते हैं।'।

तभी सिर पर फर की टोपी पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पहुँचा। वही सरदार था। उसने कहा — 'अगर आपको जमीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले सकते हैं। हमारे पास काफी जमीन है।'।

पखोम ने खुश होते हुए सरदार को धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा। सरदार ने कहा — 'हमारी एक ही कीमत है, एक दिन का एक हजार रूबल। पखोम को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा — 'एक दिन का एक हजार रूबल ? भला दिन का जमीन की कीमत से क्या ताल्लुक ?'

सरदार ने समझाया — 'तुम्हारे पास ये सारी जमीनें हो सकती हैं जितनी तुम एक दिन में पैदल चलकर घेर सकते हो। उसकी कीमत होगी एक हजार रूबल।'।

इस अजीबोगरीब बात से हैरान पखोम ने कहा — ‘लेकिन एक दिन में तो मैं जमीन के बहुत बड़े टुकड़े पर घूम सकता हूँ ... तो क्या वो सारी मेरी हो जायेगी।’ ‘बिलकुल ...’, सरदार ने कहा. ‘लेकिन शर्त ये होगी कि जहां से तुम चलना शुरू करोगे, तुम्हें शाम होने से पहले उसी स्थान पर वापस आना होगा। अगर नहीं आ सके तो तुम्हारे एक हजार रूबल जप्त हो जायेंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी।’

पखोम को लगा कि जैसे मुंहमांगी मुराद मिल गई हो। उसने तुरंत सौदे के लिए हामी भर दी और तय किया कि वह अगली सुबह जमीन पर घूमने के लिए निकलेगा।

उस रात पखोम सो नहीं सका। वह हिसाब लगाता रहा कि गर्मी के एक लम्बे दिन वह पचास मील तो चल ही सकता है. फिर वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी जमीन में कुछ खराब जमीन भी हो सकती है। ऐसी जमीन को वह बटाई पर दे देगा और अच्छी जमीन पर खुद खेती करेगा। खेती के लिए कितने जोड़ी बैल लगेंगे कितने नौकर रखने होंगे आदि सोचते हुए भोर के ठीक पहले उसकी आँख खुल गई। उसने अपने नौकर और बशिकरों को जगाया और कहा — ‘चलो, चलते हैं। अब मुझे जमीन को नापने का समय आ गया है। सूर्योदय होने ही वाला है।’

बशिकर लोग पखोम को लेकर एक पहाड़ी के पास गए। बुजुर्ग सरदार ने कहा — ‘यह सारी जमीन हमारी है। आप इसमें से जितना बड़ा टुकड़ा चाहें उतना ले सकते हैं।’ फिर उसने अपनी फर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और बोला — ‘यह आपका निशान है। आपको यहाँ से चलना आरम्भ करना है और शाम होने तक यहीं वापस आना है। जितनी जमीन पर आप चलेंगे वो जमीन आपकी होगी। याद रखिये, यदि आप सूर्यास्त तक इस जगह पर वापस नहीं लौटे तो आप सौदा खो देंगे।’

पखोम ने अपना पैसा टोपी में रख दिया और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। उसके कंधे पर एक फावड़ा था जमीन पर घूमने का निशान बनाने के लिए। वह चलता रहा, चलता रहा और जगह-जगह पर निशान बनाता रहा।

जैसे-जैसे पखोम आगे बढ़ता जाता था, जमीन और सुन्दर और अच्छी दिखाई देती जाती थी। पखोम ने सोचा कि अभी लौटने के लिए बहुत समय है। अभी मैं और भी आगे तक जाकर अच्छी-अच्छी जमीन अपने लिए सुरक्षित कर सकता हूँ। वह और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सूरज की किरणें शरीर को झुलसा रहा था और वह पसीने से तरबतर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पहाड़ी, जहां से वह चला था, उससे मिट्टी के एक ढेले के समान छोटी-सी दिखाई दी. वह मुड़ा ताकि अपनी जमीन को चौकोर कर सके। भूख लगने लगी थी। उसने जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा खाया और फिर से चल दिया। अब उसका

क्या करें और क्या ना करें

यातायात



बी.एन.लाल

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (याता.) / पूमरे

क्या करें :

- समय से यू.टी.एस. एवं पी.आर.एस. सिस्टम में लॉग इन सुनिश्चित करें।
- लॉग इन के लिए हमेशा अपना लॉग इन आईडी का इस्तेमाल करें एवं पासवर्ड गुप्त रखें।
- सी.एम.एस. में हमेशा सही टी.ए. (यातायात सलाह) का उपयोग करें।
- जब आप ड्यूटी के दौरान यूनिफार्म पहनते हों तभी यूनिफार्म भत्ता का दावा करें।
- अपने बीट के हिसाब से रेलगाड़ी में कार्य करें।
- फार्म कॉम/डी-16 (संशोधित) में ही विलम्ब शुल्क एवं स्थान शुल्क रिटर्न भरा जाना सुनिश्चित करें।
- यदि कोई बिना बुक किया पार्सल स्टेशन पर प्राप्त होता है तो उसके लिए आई.आर.सी.एम. का वॉल्यूम-1 का पारा-967 का जरूर अनुसरण करना चाहिए।
- स्टेशन मास्टर/बुकिंग स्टॉफ तुरंत नान इश्यू टिकट पर हस्ताक्षर एवं तिथि के साथ रद्द करना सुनिश्चित करें।
- आरक्षित कोच में टिकट जाँच करते समय उचित आईडी की माँग अवश्य करें।
- आई.आर.सी.एम. के वॉल्यूम-1 के पारा-511 के तहत प्राप्त की गयी टिकट का रद्दीकरण जरूर सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक चल टिकट निरीक्षक को अपना मूवमेंट डायरी अद्यतन रखना चाहिए।
- प्रत्येक महीना के अंत होने के बाद ई.एफ.टी. रिटर्न अवश्य बनायें और यातायात लेखा कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- अपने ड्यूटी समाप्ति के पहले प्राप्त सरकारी धन को सरकारी खजाने में जमा करें।

Do's and Don'ts

Traffic

 **B.N. Lal**
Dy. CVO (T)/ECR

Do's :

- ✓ Ensure timely log in UTS and PRS system.
- ✓ Always use your log in ID for log in purpose and password must be kept secret.
- ✓ Always use correct TA (Traffic advice) in CMS.
- ✓ Claim uniform allowance only when you are actually wearing uniform in duty.
- ✓ Always man the train as per your scheduled beat.
- ✓ Demurrage and wharfage returns must be accounted for in Form Com./D-16 (Rev)
- ✓ If any un-booked parcel is received at a station, Para 967 of IRCM volume-1 must be followed.
- ✓ Non-issued ticket must immediately be cancelled and initialled and dated by the SM/booking staff.
- ✓ Always check ticket along with proper ID in a reserved coach.
- ✓ Cancellation of collected tickets must be ensured as per Para 511 of IRCM volume-1
- ✓ Each travelling ticket examiner need to maintain Movement Diary.
- ✓ EFT returns must be prepared after the close of the each month and submitted to Traffic Accounts office.
- ✓ Collected Government cash must be deposited before leaving the duty place.

- पी.डब्ल्यू. बिल एवं रेलवे रसीद पर रेलवे और प्राइवेट चिन्ह दोनों जरूर अंकित करना चाहिए।
- पी.डब्ल्यू. बिल पर जारी करने वाले क्लर्क का पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए।
- गंतव्य स्थान पर माल प्राप्त करने वाला या उसके प्रतिनिधि से डिलेवरी बुक में हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें।
- लगेज एवं पार्सल का सारांश बनाना सुनिश्चित करें।
- सभी उतारे गये प्रेषणों को उतराना पुस्तिका में अंकित करना सुनिश्चित करें।

- जब तक आप वास्तव में ट्रेन नियंत्रक का काम नहीं कर रहे हैं, तब तक विशेष ट्रेन नियंत्रक भत्ते का दावा न करें।
- राष्ट्रीय अवकाश भत्ते का दावा तब तक न करें जब तक आप वास्तव में राष्ट्रीय अवकाश पर कार्यरत नहीं हो।
- तब तक सी.टी.ए. का दावा करें जब तक आप इसके हकदार नहीं हो जाते।
- ई.एफ.टी, वी.पी.टी. पर ओवर राइटिंग या परिवर्तन की मनाही है।
- ओवर कैरिड प्रेषण को लौटाते समय बिना बुक किये न भेजें।
- जब तक आप वास्तव में कोल पायलट की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तब तक कोल पायलट भत्ते का दावा न करें।
- निजी धन को रेलवे के दराज में न रखें।
- स्टेशन/कोच में मिले लावारिस वस्तु को हानि सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज करना न भूलें।
- ड्यूटी शुरू करने से पहले साइन इन करना न भूलें।
- अवैध धन स्वीकार न करें।
- जब तक आपके अधीन कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत नकद घोषित नहीं किया जाता है, तब तक ड्यूटी करने की अनुमति दें।

- ✓ Both the Railway and Private marks must be shown on the PW bill and on the Railway Receipt.
- ✓ PW bill must be signed in full by the issuing clerk.
- ✓ The signature of the consignee or his agent in the delivery book at destination must be taken.
- ✓ Luggage and Parcel summaries must be prepared by the Parcel staff.
- ✓ All packages unloaded must be entered in the unloading book..

Don'ts :

- ✓ Claim the special train controller's allowance until you are actually performing the job of train controller.
- ✓ Claim the national holiday allowances until you are actually performing the duty on national holiday.
- ✓ Claim CTA until you are entitled for it.
- ✓ Overwriting or alteration on EFT or BPT.
- ✓ Return over carried Parcel packages in unbooked condition.
- ✓ Claim coal pilot allowance until you are actually performing the duty in coal pilot.
- ✓ Keep the personal cash in Railway cash drawer.
- ✓ Forget to enter the unclaimed property in Lost property register found at the station /coach.
- ✓ Forget to sign on before starting of duty.
- ✓ Accept illegal gratification.
- ✓ Allow to perform duty until personal cash has been declared by staff under your control.

*

केस अध्ययन

यातायात

जे.के. मजूमदार, मुसतानि/यातायात	प्रभाकर सिंह, मुसतानि/यातायात
ए.के. सिंह, मुसतानि/यातायात	अमर कुमार, मुसतानि/यातायात
एस.के. सिंह, मुसतानि/यातायात	राजीव कुमार, मुसतानि/यातायात
आई.आई.ए.फरीदी, मुसतानि/यातायात	मनोज कुमार, मुसतानि/यातायात

1. रेलवे बोर्ड के सलाह पर इलेक्ट्रॉनिक इनमोशन वे ब्रीज पर एक निवारक जाँच किया गया। जिसमें उस दो संयुक्त कोल रिक का फिर से वजन किया गया, जिसके लोड को प्रथम वे ब्रीज पर अत्यधिक वजन के कारण तौल समायोजन हो चुका था। उसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

- ❖ 99 वैगन (प्रथम रिक-48 वैगन एवं द्वितीय रिक-51 वैगन) में ओवरलोडिंग पाई गई जिसके लोड को प्रथम वे ब्रीज पर वजन के पश्चात् समायोजित कर दिखाया गया था।
- ❖ 29.60 टन (प्रथम रिक-20.80 टन एवं द्वितीय रिक-8.80 टन) कोयला का भाड़ा, सामान्य दर से तीन (03) गुना पर लिया गया।
- ❖ 1274.40 टन (प्रथम रिक-621.80 टन एवं द्वितीय रिक-652.6 टन) कोयला का भाड़ा, सामान्य दर से चार (04) गुना पर लिया गया।
- ❖ इस प्रकार रु 1,47,36,329/- (प्रथम रिक-रु. 71,74,169/- एवं द्वितीय रिक-रु 75,62,160/-) (एक करोड़ सैंतालिस लाख छत्तीस हजार तीन सौ उन्तीस रुपया मात्र) दण्डात्मक माल भाड़ा वसूला गया।

2. रेलवे बोर्ड के सलाह पर इंजन भाड़ा शुल्क के पहलू पर इंजन ऑन लोड साइडिंग में एक निवारक जाँच किया गया।

- ❖ अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर यह पाया गया कि कार्यरत गुड्स शेड सुपरवाइजर इंजन ऑन लोड के लिए दिये गये फ्री टाईम के बाद इंजन भाड़ा शुल्क अधिरोपित करने में विफल रहे।
- ❖ हालांकि उसने रिक के लिए निर्धारित फ्री टाईम के बाद विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया था।
- ❖ इस अनियमितता को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया तथा सक्षम अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए इंजन शुल्क वसूली सुनिश्चित करने तथा इस अनियमितता के लिए वाणिज्य तथा लेखा विभाग के

Case Study

TRAFFIC

J.K.Majumdar, CVI/T	Prabhakar Singh, CVI/T
A.K.Singh, CVI/T	Amar Kumar, CVI/T
S.K. Singh, CVI/T	Rajiv Kumar, CVI/T
I. I. A.Faridi, CVI/T	Manoj Kumar, CVI/T

1. On the advice of Railway Board a preventive check was conducted at Electronic In Motion Weighbridge. A long haul coal rake (consisting of two rakes) was reweighed which was adjusted earlier by consignee at 1st weighment point and following irregularities found:

- * Overloading found in 99 (48 + 51) wagons which were shown adjusted earlier.
- * Thus, 29.6 Tonnes (20.8 Tonnes + 8.8 Tonnes) of coal were charged @ 3 times of the normal freight rate
- * 1274.4 Tonnes (621.8 Tonnes + 652.6 Tonnes) of coal were charged @ 4 times of the normal freight rate.
- * A sum of Rs. 1,47,36,329/- (Rs. 7174169/- + Rs.7562160/-) One Crore Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Three Hundred and Twenty Nine only) was realised as punitive freight charges on this account.

2. On the advice of Railway Board a preventive check was conducted on the aspect of Engine Hire Charge at Engine On Load Siding .

- * On scrutiny of records it was observed that on duty Goods Shed Supervisor failed to impose Engine Hire Charge beyond free time allowed for Engine On Load System (EOL)
- * Although he was imposing Demurrage Charge on the rake beyond free time.
- * The deficiency was highlighted and brought to the notice of competent authority for fixing up the responsibilities on the part of commercial and accounts Personnel.

3. स्रोत सूचना के आधार पर एक निवारक जाँच आरक्षण कार्यालय में किया गया :-

4. स्रोत सूचना के आधार पर किसान स्पेशल ट्रेन के आंशिक समापन स्टेशन पर निवारक जाँच किया गया।

***** (32) *****

It was also advised to raise and realise the Engine hire charges from the party concerned.

3. On source information a preventive check was conducted in

PRS Office.

- * Government and Private/Personal Cash of on duty ECRC was checked.
- * A sum of Rs. 3240/- was found short in Government Cash physically produced by the on duty ECRC.
- * One Sleeper TATKAL JCRT (Journey Cum Reservation Ticket) was also found in the possession of the on duty ECRC.
- * Above SL TATKAL Ticket was generated although there was no one in the queue for purchasing the ticket.
- * The vigilance team waited for the claimant till duty hours of ECRC but nobody turned up for ticket.
- * The said JCRT was handed over to SS for its proper disposal after making genuineness verification but SS dispose the JCRT without making proper genuineness verification.
- * Moreover the SS used to provide numbering over TATKAL requisition slips.
- * The said JCRT was generated for a train which neither originates/nor terminates at this station nor touches the zone during its run.
- * Both ECRC and SS were taken up under D&A Rule for failure to comply the Railway Board Policy.

4. On source information a preventive check was conducted in KISHAN SPECIAL at short terminating station.

Due to unloading constraint at scheduled terminal station, KISHAN SPECIAL was regularly terminated one station ahead, without ensuring proper commercial formalities at the time of delivery of consignment.

परिदान करते समय ना ही माल का वजन किया जाता था और ना ही परिदान पुस्तिका में पार्टी का हस्ताक्षर लिया जाता था। परिदान स्थल पर किसी तरह का रिकार्ड नहीं रखा जाता था। वस्तुओं का परिदान बिना किसी संबंधित आधारभूत संरचना के किया जा रहा था। इस कमी का उजागर होने पर जबावदेही के लिए सक्षम अधिकारी को लिखा गया।

5. स्रोत सूचना के आधार पर मुख्य टिकट निरीक्षक कार्यालय में निवारक जाँच किया गया।

- ❖ टिकट चेकिंग स्टॉफ के द्वारा दूसरे टिकट चेकिंग स्टॉफ का ई.एफ.टी. उपयोग में लाया जा रहा था।
- ❖ स्ववाड चल टिकट निरीक्षक के द्वारा मंडल द्वारा स्वीकृत निर्धारित ड्यूटी रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा था।
- ❖ चल टिकट निरीक्षक द्वारा अपनी निजी धन ई.एफ.टी. के अंतिम उपयोग किये गये पिछले पन्ने पर घोषित नहीं किया जा रहा था।
- ❖ चल टिकट निरीक्षक की गतिविधि उनके उपयोग किये गये ई.एफ.टी से भिन्न था।
- ❖ चल टिकट निरीक्षक के द्वारा सरकारी धन सही समय से जमा नहीं किया जा रहा था।
- ❖ लिंक डाईग्राम मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं था तथा उसका पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था।

6. श्रमिक द्वारा उत्तराई की आड़ में मशीन द्वारा वैगनों से माल की उत्तराई कर फ्री टाईम में धोखाधड़ी कर लाभ उठाने की शिकायत।

एक कोयले की साईडिंग के शिकायत की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि खाली करने हेतु लाए जानेवाले कोयले के रैक की अनलॉडिंग के लिए जेसीबी, पोकलेन मशीन का प्रयोग हो रहा था।

मेनुअल अनलॉडिंग पुस्तकों में दिखाकर गलत तरीके से फ्री टाईम 09—घंटे लिया जाता था जबकि मशीन से अनलॉडिंग हेतु फ्री टाईम केवल 07 घंटे ही है।

कोयला को मशीन से खाली करते हुए भी मेनुअल अनलॉडिंग दिखाया जा रहा था। एक सतर्कता केस दर्ज किया गया तथा मेनुअल और मशीन अनलॉडिंग के फ्रीटाइम का अंतर यानी 2 घंटे का विलम्बन शुल्क जो कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का रु. 23,41,712/— हुआ, प्रेषितों के विरुद्ध गणना कर बिल भेजा गया।

Neither consignment were weighed nor party's signature were taken in delivery book at the time of delivery. No records were being maintained at the place of delivery.

Delivery of consignments were made without having ancillary infrastructure for proper delivery. The deficiency was highlighted and brought into the notice of competent authority for fixing up the responsibilities.

5. On source information a preventive check conducted at CIT/Office:

- * Ticket Checking Staff were found using EFT's of other Ticket Checking Staff.
- * Squad TTEs were not following the program approved by the Division.
- * TTEs were not declaring their Private cash on the back of the last used EFT.
- * Movement shown by the TTEs did not match with their used EFTs.
- * Ticket checking staff were not submitting their EFT cash properly.
- * Link diagram was neither approved by the Division nor followed properly.

6. Corruption of complaint in calculation of free time during unloading of Coal by machinery on the pretext of manual unloading.

During the course of investigation of complaint at a Coal unloading siding, it is found that the Coal is being unloaded through JCB/Pock lain Machine (i.e. Mechanized). While free time was claimed on the basis of manual unloading in books.

Free time for manual unloading is 09-hrs, whereas for mechanized unloading is 07-hrs.

The consignments was unloaded through machines but shown as manual unloading. A vigilance case was registered and Demurrage Charge (i.e. difference of Manual and Mechanized unloading free time) i.e. of 02-hrs is raised from the period from January 2021 to October 2021, which amounted Rs. 23,41,712/- against the Consignee.

7. ट्रेन प्रबंधक (गार्ड) प्रारंभिक स्टेशन पर साइन ऑन टाईम को एडजस्ट करके अधिक माइलेज दिखाकर गलत दावा प्रस्तुत करना।

एक निवारक जाँच के दौरान एक गार्ड को अपना साइन ऑन/ऑफ समय को एडजस्ट (आधा घंटा से अधिक) कर 130 किलोमीटर स्लेब के बदले अगले स्लेब 150 किलोमीटर का फायदा लेते हुए पाया गया। नियमानुसार, जब कभी कोई ट्रेन प्रबंधक (गार्ड) यात्री ट्रेन में कार्य करते हैं तो वह प्रस्थान समय से आधा घंटा पहले साइन ऑन तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के आधे घंटे बाद तक साइन ऑफ कर सकता है। यदि ड्यूटी समय 5 घंटा या उससे कम है तो उसे 130 किलोमीटर वाले स्लेब का जबरजस्ती 5 घंटा से अधिक होने पर उसे 150 किलोमीटर वाले स्लेब का पात्र होगा। ड्यूटी समय को 5 घंटा से अधिक गलत तरीके से दिखाकर साइन ऑन समय को ही इस प्रकार एडजस्ट किया जाता था कि ड्यूटी समय 5 घंटा से अधिक हो जाए ताकि उसे अगले स्लेब 150 किलोमीटर वाले स्लेब का लाभ मिल सके।

निवारक जाँच अभी प्रक्रियाधीन है।

8. स्रोत सूचना के आधार पर एक माल शेड में एक निवारक जाँच की गई जहाँ से फलाई ऐश का परिवहन किया जा रहा था।

स्रोत सूचना के आधार पर एक गुड्स शेड ऑफिस में निवारक जाँच किया गया जहाँ पर फलाई ऐश मेटेरियल को बाक्सएनएचएल रक से ढोया जा रहा था। सतर्कता निवारक जाँच के दौरान 16 वैगन का माल (फलाई ऐश) लगभग 996 टन वार्फ पर पाया गया। जाँच के क्रम में पता चला कि फलाई ऐश से लदी गाड़ी 2 दिन पहले रवाना हो गई थी लेकिन वार्फ पर पड़े फलाई ऐश को न तो हटाया गया था एवं न ही स्थान शुल्क की गणना की जा रही थी। वार्फ पर पड़े माल की मापी मुख्य यार्ड मास्टर एवं वाणिज्य कर्मचारी के द्वारा सतर्कता दल की देख-रेख में की गयी एवं पाया गया कि 16 वैगन का माल अनधिकृत रूप से वार्फ पर रखा पाया गया। जाँच प्रक्रियाधीन है।

9. स्रोत सूचना के आधार पर सुविधा पास के दुरुपयोग के संबंध में एक निवारक जाँच किया गया।

निम्नलिखित अनियमितताएँ सतर्कता जाँच के दौरान पायी गयीं।

- ❖ जाँच के क्रम में ऐसा पाया गया कि एक वाणिज्य पर्यवेक्षक द्वारा अपने विवाहित पुत्री के नाम पर सुविधा पास लिया गया था।
- ❖ पर्यवेक्षक द्वारा उस सुविधा पास पर आरक्षण करवाकर अपनी विवाहित पुत्री के साथ यात्रा भी किया गया।
- ❖ उक्त कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

7. Train Manager (Guard) claiming excessive false Kilometerage by adjusting Sign On time at originating station.

During a preventive check, it was noticed that a Train Manager(Guard) adjusting his sign On/Off time (by more than half an hour) from originating station so that he can get benefit of next slab rate (i.e. from 130 Km slab to 150 Km slab). As per rule, whenever a Train Manager (Guard) works in coaching train he can Sign On 30-minutes before the departure time from originating station and sign Off upto 30-minutes after arrival at destination. If the duty hours is 5-hrs or less, he will get 130 Km as mileage, if he works more than 5-hrs then he will get 150 Km as mileage. To show the duty hours more than 5-hrs intentionally (so that he can get next slab rate i.e. 150Km) Train Manager (Guard) found indulged in adjusting his Sign On time in such a way that his duty hours may cross the 5-hrs slab for getting benefit of next slab i.e. 150 Km.

The case is under investigation.

8. Based on source information, a preventive check was conducted in a Goods Shed from where Fly Ash was being transported.

Based on source information, a Preventive Check was conducted in a Goods Shed Office, where Fly Ash materials were being transported through BOXNHL rakes. During the Preventive Vigilance Check, it was found that around 16 wagons (approx. 996 T) Fly Ash was kept on the wharf. On inquiry, it was revealed that the train was departed 2-days ago but neither commodity was removed from the wharf nor wharfage was being raised. The same was measured by the CYM and Commercial Staff in supervision of Vigilance team. It is found that 16-wagons Fly Ash is kept on the wharf. The case is under investigation.

9. On the basis of source information a Preventive Check was conducted regarding misuse of Privilege Pass.

Following irregularities were detected during the vigilance check –

- * Commercial Supervisor had taken privilege pass in favour of his married daughter.
- * Employee took the reservation on privilege pass and travelled along with his married daughter.
- * The concerned staff has been proposed to be taken up under D&AR.

10. स्रोत सूचना के आधार पर आरक्षण कार्यालय में एक निवारक जाँच किया गया।

सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं :-

- ❖ आरक्षण पर्यवेक्षक द्वारा यात्रा सह आरक्षण टिकट बिना आरक्षण माँग पत्र के बनाया जा रहा था।
- ❖ जाँच के क्रम में यह पाया गया कि आरक्षण पर्यवेक्षक ने 04 ऐसे यात्रा सह आरक्षण टिकट, अग्रिम आरक्षण अवधि का बिना पैसा लिए उस दिन बनाया था एवं सभी यात्रा सह आरक्षण टिकट संबंधित कर्मचारी के पास ही बरामद हुआ।

मामले की जाँच प्रक्रियाधीन है।

11. कोच अटेंडेंट के द्वारा गलत तरीके से यात्री को यात्रा कराना

स्रोत सूचना के आधार पर, सतर्कता टीम, पूर्व मध्य रेल के द्वारा एक सवारी गाड़ी में बक्सर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच दिनांक 22.08.2022 को लगभग 20:20 बजे कोच अटेंडेंट (बेड रॉल स्टाफ) के द्वारा कुछ यात्रियों को कोच के प्रवेश द्वार के नजदीक गलत तरीके से ले जाने के संबंध में एक निवारक जाँच किया गया। कोच की जाँच के दरम्यान, तीन यात्रियों ने शिकायत दर्ज करायी कि कोच अटेंडेंट (बेड रॉल स्टाफ) को क्रमशः रु. 1500/-, रु. 1300/- एवं रु. 1500/- बर्थ पाने के लिए दिया गया है। सतर्कता टीम के दबाव के कारण, एक कोच अटेंडेंट (बेड रॉल स्टाफ) जो अपने बारे में परिचय दिया और रु. 8300/- सतर्कता टीम के सामने सौंपा। सभी तीन यात्रियों को कोच के संबंधित कंडक्टर के द्वारा सतर्कता टीम के आदेश पर कोच में नियमित किया गया और बाकी धन सरकारी खजाना में जमा करा दिया गया। घटना की जाँच प्रक्रियाधीन है।

12. स्रोत सूचना के आधार पर एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक निवारक जाँच किया गया।

जाँच में यह पाया गया कि स्टेशन पर कार्यरत दो स्थिर टिकट परीक्षक एक गाड़ी के प्रारंभिक स्थान से प्रस्थान के पहले साधारण कोच में टिकट की जाँच कर रहे थे। जब सतर्कता दल ने उन्हें अपना परिचय दिया तो उनमें से एक स्थिर टिकट परीक्षक सतर्कता दल के सदस्य को धक्का देकर फरार हो गया।

दूसरा स्थिर टिकट परीक्षक यात्री दल जिनके पास प्रतीक्षा सूची में ई-टिकट था से कुल रु. 6000/- टिकट बनाने के नाम पर वसूल हुए थे और गाड़ी के प्रस्थान का इंतजार कर रहा था। सतर्कता दल के निर्देश पर यात्री दल को उनका पैसा वापस लौटाया गया।

10. On the basis of source information a Preventive check was conducted in a Reservation Office.

Following irregularities were detected during the vigilance check –

- * The on duty reservation supervisor was found generating JCRT without obtaining requisition form physically from passenger.
- * During check it was found that he had generated 04 JCRT of Advance Reservation Period date without collecting the due amount of fare and all 04 JCRT were found in the possession of concerned staff.

The matter is under investigation.

11. Illegally Carrying the passengers by Coach Attendant

On the basis of source information, a preventive check was conducted by vigilance team of ECR in a train between Buxur to Deen Dayal Upadhyay at about 20.20hrs on 22.08.2022 regarding illegal carrying of some passengers by the Coach attendant (Bed Roll Staff) near the coach entrance. During the check of a coach, three (03) passengers complained that they had paid a sum of Rs.1500/-, Rs.1300/- and Rs.1500/- respectively to Coach Attendant (Bed Roll Staff) for providing the berth. After interference of vigilance team, One coach attendant (Bed Roll Staff) introduced himself and produced Rs.8300/- in front of Vigilance Team. All the three (03) passengers were regularized by the concerned coach conductor on the instruction of vigilance team and remaining amount was deposited in Government Account. The incident is under investigation.

12. Based on source information a preventive check was conducted at platform of a station.

Two stationary ticket checking staff were found checking inside the general coach of a train at train origination station. When vigilance team introduced themselves, one TTE fled away by pushing the member of vigilance team.

Another ticket checking staff was found with Rs. 6000/-, taken on pretext of making ticket from a group of passenger who had waitlisted e-ticket and waiting for departure of the train. The money was returned to the passenger at behest of vigilance team.

An additional sum of Rs. 4710/- was also found in his possession, for which he stated that he could not declare it in private cash register as he had to attend medical emergency in train. He also failed to declare it on EFT book.

Both the staff were served with major charge sheet and recommended for Inter-Division transfer.

13. False claim of KM allowance by Goods Train Manager.

On the basis of source information, a preventive check was conducted at siding of a station in connection with Kilometerage allowance

It was found that some goods Train Manager had charged and received the kilometer allowances for a particular period at a siding.

However on verification it was found that no indent of rake was placed and no physical movement of pilot was under taken. They were on static duty and called for in anticipation that movement can be performed at any time.

During investigation it came to notice that kilometer allowance was charged in CMS by feeding false engine number and false engine movement.

All the goods Train Manager and Station Master of that station who were involved advised to take up under D&AR action.

Letter had been sent to all DRMs of ECR and PCOM/ECR for taking corrective measure and conducting similar type of surprise checks.

14. On source information a preventive check was conducted to verify the Overloading in leased SLR.

- * Capacity of leased SLR was 3900 Kgs.
- * Actual weight found 6355Kgs.
- * Excess weight of 2455Kgs detected.
- * A sum of Rs. 1,51,819/- was raised and realized as undercharge. A letter sent to SDGM of concerned Railway for taking corrective measures.

15. साईन ऑफ करने जा रहे टीटीई के साथ का मामला ।

स्रोत सूचना के आधार पर एक सवारी गाड़ी के अन्तिम स्टेशन पर एक निवारक जाँच किया गया। सवारी गाड़ी में कार्य कर रहे टिकट परीक्षक के सरकारी धन एवं निजी धन की जाँच उनके ड्यूटी के "साईन-ऑफ" के दौरान किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएँ पायी गयीं।

- ❖ जाँच के दौरान एक टिकट चल परीक्षक के पास से उनके निजी धन में रु. 3200 /— ज्यादा बरामद हुआ, जिसको सरकारी धन में जमा कराया गया।
उपरोक्त टिकट जाँच कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

16. आरक्षण मांग प्रपत्र में संक्षिप्त नाम पृष्ठांकन।

- ❖ स्रोत सूचना के आधार पर एक निवारक जाँच सेटेलाईट आरक्षण केन्द्र पर किया गया, जिसमें आरक्षण लिपिक के द्वारा तत्काल मांग पत्र में पूर्ण विवरण न होते हुए भी आरक्षण किया गया, जैसे-यात्री नाम विवरण कूट में भरा हुआ था।
- ❖ आरक्षण लिपिक के द्वारा बोर्डिंग प्वाइंट में परिवर्तन बिना लिखित आवेदन पत्र के अनधिकृत रूप से किया जा रहा था।
- ❖ आरक्षण लिपिक इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है।
- ❖ रेलवे बोर्ड की पालिसी के विरुद्ध कार्य करने की जाँच प्रक्रियाधीन है।

*

**चयन में, प्रश्न पत्रों की
छपाई और वितरण में
पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें।**

15. Case of TTE when going to sign off.

On source information a preventive check was conducted at termination station of a train during “signing off” duty at termination station, personal cash and government cash of train manning ticket checking staff was checked and following irregularities were noticed.

- * An amount of Rs. 3200/- found excess in the private cash with a ticket checking staff the same was deposited in government cash.

The above ticket checking staff was taken up under D&AR.

16. Short name endorsement in Reservation form.

- * On source information a preventive check was conducted in SRO, on duty ECRC was found generating SL Tatkal without full information i.e. on short names and use of abbreviations.
- * ECRC was changing the boarding point without obtaining the written request from the passenger.
- * Moreover, the concerned ECRC was not authorized to modify the boarding point.
- * For failure to comply the Railway board policy, matter is still under investigation.

*

काम के निष्पादन के दौरान
घटिया सामग्री के उपयोग की
अनुमति न दें।

लेखा एवं कार्मिक

 उज्ज्वल आनंद, उपमुसताधि/लेखा एवं कार्मिक

- $$\text{***** (44) *****}$$

Case Study

Accounts & Personnel

1. Misutilisation of Manpower

 **Ujjawal Anand**, Dy.CVO/A&P

- Manpower is the costliest resource and misutilization of manpower is bleeding the organisation slowly but harmfully.
- Staff wages and pension together comprise about 67% of the Railways' expenditure.
- There is large chunk of misutilization in safety category, which have become a holy cow, due to which nobody dare to question or touch that aspect.
- During investigation of a complaint case, it was found that 38 number of Safety category employees were working outside their unit on verbal orders. This was about one third of total sanctioned strength.
- There was no written order for transfer/deputation of such employees.
- Rather than working on their designated job in safety category they were working in office. However, they were getting Hardship and Uniform allowances as well.
- Their salaries were being charged based on check sheets.
- Branch officer was totally unaware of the fact and accepted the fault and repatriation of staff to original posts were done after the vigilance check.
- As Hardship and Uniform allowances are meant only for employees working on such jobs, recovery of **Rs. 37,02,600/-** was advised and it is being realised in phase manner.

- ❖ 38 पदों को सरेंडर करने की सलाह भी दी गई क्योंकि इन पदों का उपयोग उनकी मूल इकाई में लंबे समय (3 वर्ष से अधिक) से किया जा रहा था। इससे कुल वार्षिक बचत रु. 1,21,11,360/- संभावित है।
- ❖ एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) द्वारा यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि यदि किसी कर्मचारी के अपनी इकाई के बाहर काम करने का कोई कारण है, तो लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए।
- ❖ 01 वरिष्ठ पर्यवेक्षक को भी सतर्कता डीएआर के तहत लिया गया था।
- ❖ इसी तरह के एक निवारक जाँच में यह पाया गया कि संरक्षा श्रेणी से संबंधित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और साक्षर होने पर भी 'पी' अंकित कर रहे थे।
- ❖ इस तरह की प्रथाएं जनशक्ति के दुरुपयोग को छिपाने के मकसद से हो सकती हैं और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
- ❖ बीट वेलफेयर इंस्पेक्टरों, विभागीय पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का एक स्थापित तंत्र है, जिसके दौरान इस तरह की कुरीतियाँ सामने आनी चाहिए। फिर भी बीट कल्याण निरीक्षकों सहित किसी भी निरीक्षक अधिकारी द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया था कि सभी कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें और बीट डब्ल्यूआई को भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान इस पहलू की जांच करनी चाहिए ताकि इस तरह के कदाचार को रोका जा सके।

पूर्व मध्य रेलवे की विभिन्न इकाइयों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया और अन्य लिखित परीक्षाओं में विभिन्न अनियमितताएँ

प्रणाली के कार्य/प्रक्रिया में किए गए सुधार का संक्षिप्त विवरण :-

पूर्व मध्य रेलवे में लिखित परीक्षा/विभागीय चयन/उपयुक्तता के उचित संचालन के संबंध में विभिन्न प्रणाली सुधार पत्र जारी किए गए हैं।

मौजूदा प्रणाली की पृष्ठभूमि :

1. पूर्व मध्य रेलवे के एक मंडल में की गई निवारक जांच के दौरान यह देखा गया कि जेई/सिग्नल के पद के लिए एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को सीबीटी मोड में आयोजित

- Advice for surrender of 38 posts was also given as these posts are not used for long time (more than 3 years) in their parent unit. Total annual saving is of **Rs. 1,21,11,360/-**
- A System Improvement Letter (SIL) was also advised for ensuring that if there is any reason for any staff to work outside their unit, then written order should be issued.
- 01 senior supervisor was also taken up under vigilance DAR.
- In a similar preventive check it was found that large number of employees pertaining to the safety category were not signing on the attendance register and marking “P” even when they were literate.
- Such practices may be with the motive to hide the misutilisation of manpower and should be stopped immediately.
- There is established mechanism of inspections by Beat Welfare Inspectors, departmental supervisors and officers during which such mal practices should come into the light. However, this was not checked by any of the inspecting officials, including beat Welfare Inspectors.
- A System Improvement Letter (SIL) was issued to ensure that all employees sign on the attendance register and Beat WI must check this aspect during their beat inspections so that such malpractice could be stopped.

Various irregularities in selection procedure and other written examinations conducted by various units of East Central Railway

Brief description of the improvement made on the function/ process of the system:

Various System improvement letters have been issued regarding proper conduct of written examinations/Departmental Selections/ Suitability in East Central Railway.

Background of the existing system:

1. During a preventive check conducted in one of the divisions of East Central Railway it was observed that a Computer Based

2. एक अन्य निवारक जांच के दौरान, यह संज्ञान में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, उत्तर विहित करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न पत्रों का आदान-प्रदान करने की संभावना है। अतः इस तरह के कदाचार से बचने के लिए प्रश्न पत्र पर उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर का उल्लेख करने का प्रावधान होना चाहिए।
3. इसके अलावा, पूर्व मध्य रेल की एक विभागीय परीक्षा की निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया कि विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को विरमण पत्र में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि फोटो/हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में नमूना हस्ताक्षर और फोटो भी गायब थे। इसके परिणामस्वरूप विभागीय परीक्षाओं में धोखेबाजों की उपस्थिति हो सकती है, विशेषकर उन परीक्षाओं में जहां विभिन्न स्टेशनों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हो रहे हैं।
4. विभिन्न लिखित परीक्षाओं के आयोजन के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे न केवल महत्वपूर्ण अवरोध नदारद रहे बल्कि परीक्षा के दौरान कदाचार की संभावना बनी रही। इसके अलावा, परीक्षा के बाद किसी भी शिकायत के मामले में, मामले की जांच करने के लिए कोई साधन नहीं था।

Test (CBT) was organised for the post of JE/Signal. This examination was planned to be conducted in the CBT mode. But due to sudden technical fault, before starting the examination, CBT mode had been changed to Written Examination Mode in OMR sheet. This resulted in delay. Further, this examination was planned to be conducted in three different shifts in CBT mode. But due to technical error it was conducted in one shift in written mode. This shows that there was lack of proper preparation. While use of technology is needed for transparency, fairness, and quick delivery of results in selection, but as CBT is evolving and new system, it requires proper preparation, safety, security, and technical checks to ensure smooth conduct and prevention of hacking and cybercrime.

2. During conduct of another preventive check, it came into the notice that there was no provision to mention Name & Roll No. of candidates in objective type question papers. Therefore, there is possibility to exchange the question papers by candidates after marking answers. Hence, there should be a provision to mention Name & Roll No. of the candidates on question paper to avoid such malpractice.
3. Further, during a preventive check of a departmental examination of East Central Railway, it was observed that there is no uniformity in issuing of sparing letter to candidates for appearing in Departmental examinations. It is found in some of the cases that photographs/signatures were not duly attested by the competent authority. It is also found that in some of the cases that even specimen signatures and photos were missing. This may result in appearance of imposters in departmental examinations, especially in the examinations where large number of candidates are appearing from various stations.
4. There was no system of video recording while conducting various written examinations. Due to this not only the important counter check was missing but there was possibility of malpractices during the exams. Further, in case of any complaint after the examination, there was no tool to check the matter.

सतर्कता कार्रवाई के परिणामस्वरूप सतर्कता जोखिम कैसे कम किया गया है :-

विभिन्न प्रणाली सुधार पत्र प्रस्तावित किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. कंप्यूटर आधारित परीक्षण के सुचारु संचालन के लिए और कंप्यूटर आधारित परीक्षण के दौरान हैकिंग और साइबर अपराध से बचने के लिए, एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि तकनीकी जांच पहले से की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि किसी भी हैकिंग और साइबर अपराध को रोकने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
2. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर का उल्लेख करने का प्रावधान करने के लिए पूर्व मध्य रेल की सभी इकाइयों/मंडलों को निर्देश देने के लिए एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया ताकि उत्तर चिह्नित करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न पत्रों के आदान-प्रदान की संभावना को टाला जा सके।
3. एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया है जिसमें नमूना हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के साथ एक नमूना विरमण पत्र परिचालित किया गया है। यह भी सलाह दी गई कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित होने चाहिए।
4. लिखित परीक्षाओं के दौरान कदाचार की संभावना से बचने के लिए एक अन्य प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि पूर्व मध्य रेल की विभागीय पदोन्नति/उपयुक्तता परीक्षा, नियुक्ति आदि से संबंधित सभी परीक्षाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाए।

कार्यान्वयन :

उपरोक्त सभी एसआईएल को ईसीआर द्वारा क्रमशः पत्र संख्या ई/सतर्कता/ओ/ईसीआर/एचजेपी (सीएफ संख्या-१३३७७१), दिनांक-०८.०६.२०२१; ई/६०/ओ/ईसीआर/एचजेपी (ईऑफिस नंबर- २२३३६, दिनांक-०२.०७.२०२१; ई/ विविध /ईसीआर/एचजेपी/सीएफ नंबर-१७०२५, दिनांक २८.०४.२०२१ और ईसीआर-मुख्यालय (एसईएल)/५/२०२१ द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

How the vigilance risk has been reduced as a result of vigilance action:

Various System Improvement Letters have been proposed, advising remedial majors. Details are as follows:

1. For smooth conduct of Computer Based Test and to avoid hacking and cyber crime during the conduct of Computer Based Test, a System Improvement Letter (SIL) has been issued suggesting that technical checks should be done beforehand. It has also been suggested that proper security arrangements should be made to prevent any hacking and cyber-crime.
2. A System Improvement Letter (SIL) was issued proposing direction to all units/divisions of East Central Railway to make provision to mention Name & Roll No. of the candidates in objective type question paper so that to avert the possibility to exchange of question papers by candidates after marking answers.
3. A System Improvement Letter (SIL) has been issued in which a sample sparing letter along with specimen signature and photograph has been circulated. It was also advised that photograph and signature should be duly attested by the competent authority.
4. To avoid possibility of malpractice during the written examinations, it was suggested that video recording for all the examination like departmental and promotion/suitability test appointment etc. of East Central Railway may be ensured.

Implementation:

All above mentioned SILs have been implemented by ECR vide letter Nos. E/VIGILANCE/O/ECR/HJP (CF No.-133771), dated-08.09.2021; E/90/O/ECR/HJP (eOffice No- 22336, dated-02.07.2021; E/Misc/ECR/HJP/C.F. No-17025, dated 28.04.2021 and ECR-HQPERS(SEL)/5/2021 respectively.

प्रभाव और लाभ :

चयन और लिखित परीक्षा शिकायतों का प्रमुख स्रोत हैं। इन कदमों ने न केवल कदाचार की संभावनाओं को कम किया है बल्कि सिस्टम के बारे में उम्मीदवारों के बीच विश्वास भी पैदा किया है। इन कदमों से परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता भी आई।

3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की अनावश्यक मांग के कारण सही दावेदार से समाप्त भुगतान में देरी/उत्पीड़न के संबंध में ।

प्रणाली के कार्य/प्रक्रिया में किए गए सुधार का संक्षिप्त विवरण :

उत्तराधिकार बकाया के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के उपयोग के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र

मौजूदा प्रणाली की पृष्ठभूमि :

1. एक शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक मृतक महिला रेलवे कर्मचारी के बकाया भुगतान के दो अलग-अलग दावेदार थे। बकाया भुगतान के लिए तलाकशुदा पति के साथ-साथ मृतक रेल कर्मचारी के बेटे की ओर से अलग-अलग आवेदन दिए गए। महाप्रबंधक/कानून की कानूनी सलाह के बाद, दोनों दावेदारों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इसी बीच बेटे की मौत हो गई। तलाकशुदा पति ने अदालत को यह बताए बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया कि वे और मृतक कर्मचारी का बेटा विपरीत दावेदार थे। मृतक कर्मचारी के पक्ष में बकाया के निपटान के लिए पुत्र या अन्य सही दावेदारों को आवेदन में विरोधी पक्ष नहीं बनाया गया था। तत्पश्चात पति ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सेटलमेंट बकाया की पूरी राशि अपने पक्ष में ले ली।

2. लेकिन, रेलवे सेवा पेंशन नियम, १९६३ के पैरा ७०(५) के अनुसार, तलाकशुदा पति समापक भुगतान का वैध दावेदार नहीं है। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, इसका भुगतान रेलवे सेवा पेंशन नियम, १९६३ के पैरा ७०(५) के अनुसार सीधे बेटे को करना चाहिए था। बेटे की मृत्यु के बाद भी, समापक भुगतान विवाहित/अविवाहित बेटी सहित अन्य कानूनी दावेदारों को किया जाना चाहिए था न कि तलाकशुदा पति को।

Impact and benefits:

Selections and written examinations are major source of complaints. These steps have not only reduced the possibilities of malpractices but also built confidence among the candidates about the system. These steps also resulted in fairness and transparency in examination process.

3. Regarding delay in settlement dues/ harassment of rightful claimant of settlement dues due to unnecessary demand of Succession Certificate**Brief description of the improvement made on the function/ process of the system:**

System improvement letter regarding use of Succession Certificate for payment of succession dues

Background of the existing system:

1. It was found during a check of complaint case that there were two different claimants of settlement dues of one deceased female railway employee. For the payment of settlement dues, different applications were given by the divorced husband, as well as the son of the deceased railway employee. After legal advice of GM/Law, both the claimants were advised to produce Succession Certificate. Meanwhile, the son died. Divorced husband obtained succession certificate without disclosing to the court of law that they and son of deceased employee were opposite claimants. Son or other rightful claimants for settlement dues in favour of the deceased employee were not made the opposite party in the application. Thereafter, the husband took the entire amount of settlement dues in his favour by producing the Succession Certificate.

2. **But, as per Para 70(5) of Railway Service Pension Rules, 1993, Divorced husband is not a legitimate claimant for settlement payment.** Therefore, there was no need to demand Succession Certificate. It should have been paid directly to the son. In fact, the payment should be done as per Para 70(5) of Railway Service Pension Rule, 1993. Even after death of son, settlement benefits should have been paid to other legal claimants, including married/unmarried daughter and not to the divorced husband.

3. यह देखा गया है कि, जब भी विभिन्न दावेदारों के बीच समापक भुगतान के बारे में थोड़ा सा विवाद होता है, नियमित रूप से और बिना दिमाग के अनुप्रयोग के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। यह अक्सर सही दावेदार के उत्पीड़न के साथ-साथ निपटान भुगतान में देरी का परिणाम बनता है।

4. इसी मामले में यह भी देखा गया है कि जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एकतरफा था और अन्य दावेदारों को विरोधी पक्ष नहीं बनाया गया था। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि, अन्य दावेदारों को प्रतिवादी बनाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यदि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अन्य दावेदारों को प्रतिवादी बनाए बिना जारी किए जाते हैं, तो यह अन्य दावेदारों को मौका देने से इनकार कर देगा और पूरी प्रक्रिया को एक मजाक बना देगा।

सतर्कता कार्रवाई के परिणामस्वरूप सतर्कता जोखिम कैसे कम किया गया है :-

एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया, जिसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता के मामले में बिल तैयार करने और बिल पास करने वाले अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बुद्धि प्रयोग करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि नियमित रूप से और बिना आवश्यकता के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग न करें। यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि सभी दावेदारों को विरोधी पक्ष बनाने के बाद प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। एकपक्षीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले में अन्य दावेदारों को विरोधी पक्ष बनाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

कार्यान्वयन :

इस एसआईएल को ईसीआर द्वारा सीपीओ/आईआर पत्र संख्या ईसीआर-मुख्यालय०पीईआरएस (रूल)/१२/२०२१ (कॉम.सं. १३३७७१) द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

प्रभाव और लाभ :-

1. समापक भुगतान में अनावश्यक मुकदमेबाजी रुकेगी।
2. समापक भुगतान में देरी रुक जाएगी।
3. कर्मचारी की मृत्यु के बाद समापक भुगतान के सही दावेदारों का उत्पीड़न बंद होगा।

*

3. It has been observed that, whenever there is little bit of dispute about payment of settlement dues between different claimants, succession certificate is being asked in routine way and without application of mind. This often results in harassment of rightful claimant as well as delay in settlement payment.

4. It has also been observed in the same case that succession certificate issued was unilateral and other claimants were not made opposite parties. For purposeful use of succession certificate, it is necessary that, succession certificates are issued against other claimants. If succession certificates are issued without making other claimants as opposite parties, it would deny the chance to other claimants and make the entire process a mockery.

How the vigilance risk has been reduced as a result of vigilance action:

A System Improvement Letter has been issued, advising proper application of mind in case of need of succession certificate, both by bill preparing and bill passing authorities. It has also been advised to not demand succession certificate in routine way and without need. It was also advised to ensure that the succession certificate must be issued after making all the claimants as opposite parties. In case of unilateral succession certificate, necessary instructions should be issued to obtain succession certificate after making other claimants as opposite parties.

Implementation:

This SIL has been implemented by ECR vide CPO/IR letter No.ECR-HQ0PERS(RULE)/12/2021 (Com.No. 133771).

Impact and benefits:

1. Unnecessary litigation in settlement payment would stop.
2. Delay in settlement payment would stop.
3. Harassment of rightful claimants of settlement payment after death of employee would stop.

*

केस अध्ययन

अभियंत्रण

1. कार्य की निविदा अनुसूची में मद:-

 जनार्दन प्रसाद, मुसतानि/इंजी.

एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक कार्य की निविदा अनुसूची में, कार्य के लिए शामिल की गई कुछ मदें प्रासंगिक नहीं थीं और साथ ही कार्य से संबंधित कुछ मदों को छोड़ दिया गया था। इस तरह की विसंगतियों के परिणामस्वरूप भिन्नता विवरण तैयार किया गया था जिसमें नए मदों को सम्मिलित किया गया और मूल अनुसूची में निहित कुछ मदों को छोड़/हटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप संविदात्मक जटिलताएँ उत्पन्न हुईं और कार्य की प्रगति प्रभावित हुई और इसे पूरा करने में विलम्ब हुआ।

इस तरह की अनुचित संविदात्मक जटिलताओं से बचने के लिए, संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्य की निविदा अनुसूची तैयार करने में पर्याप्त कौशल का प्रयोग करना और निविदा अनुसूची में शामिल प्रत्येक मद के लिए सावधानीपूर्वक गणना करना अनिवार्य है, ताकि न्यूनतम भिन्नता अथवा भिन्नता के बिना कार्य समाप्ति अवधि के भीतर पूरा हो सके।

2. पी- वे सामग्री की खरीद:-

किसी अन्य जोन में सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि पी. वे सामग्री (विशेषकर सीएमएस क्रॉसिंग) की आपूर्ति वेंडर द्वारा थोक में की गई थी और रेलवे द्वारा पी-वे सुपरवाइजर की सिफारिश के आधार पर स्वीकार की गई थी जो सीएमएस क्रॉसिंग के वेब भाग पर सतह दोष दिखाई पड़ा था। आरडीएसओ द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस मुद्दे पर कम से कम एक सतर्कता जांच करने का निर्देश दिया गया। इस क्षेत्रीय सतर्कता द्वारा की गई सतर्कता जांच के दौरान, हालांकि आपूर्ति की गई सभी सामग्री सतह-दोष मुक्त और पेन्टेड/चिकनाई युक्त पाई गई थी। इस मामले पर एस.आई.एल. जारी करने की सिफारिश की गई थी जिसमें पी.वे. कार्य में दक्ष कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया जो रेलवे के उपयोग में आने वाली पी-वे सामग्री को पारित करें।

अतः ट्रैक डिपो में प्राप्त पी.वे सामग्री की गुणवत्ता का आश्वासन सुरक्षित और कुशल रेल संचालन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए पी. वे सामग्री को स्वीकार करने के पहले एक दक्ष अधिकारी को इसे पारित करने के लिए प्रतिनियुक्त करना हमेशा फायदेमंद होता है।

Case Study

ENGINEERING

1. Items in tender schedule of work:-

 **Janardan Prasad**, CVI/Engg.

During investigation of a vigilance case, it was found that in the tender schedule of a work, some of the items included for the work were not relevant as well as some item(s) relevant to the work was left out. As a result of such discrepancy, variation statement was prepared in which new items were inserted and some items contained in the original schedule were left out/deleted. This resulted in contractual complications and the progress of the work was affected leading to delay in its completion.

In order to avoid such unwarranted contractual complications, it is imperative on the part of concerned officials to exercise ample skill in preparing the tender schedule of work and meticulously worked out quantities for each item included in the tender schedule, so that work is completed within DOC without requiring preparation of variation statement/minimum variation.

2. Procurement of P. way materials:-

During a vigilance check in some other zone, it was found that the P. way materials (especially CMS X-ing) supplied in bulk by the vendor and accepted by Railway on the basis of recommendation of P. way supervisor(s), had visible surface defects on the web portion of CMS X-ing. The matter was viewed seriously by RDSO and all zonal Railways were instructed to conduct atleast one vigilance check on this issue. During vigilance check conducted by this zonal vigilance, though all materials supplied were found surface-defect free and painted/lubricated, it was recommended to issue SIL on this matter instructing the executive to depute an officer conversant with P. way work for passing the P. way material procured for use on the railway.

Since the assurance of quality of P. way material received in track depot is of prime importance for safe and efficient train operation, it is always beneficial to deploy conversant officer for passing of P. way materials prior to accepting it.

3. कार्य आदेश पर ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर देखना:—

सतर्कता के एक मामले में, ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि ने आरोप लगाया था कि क्षेत्रीय कार्य के कुछ कार्य आदेशों पर उसके हस्ताक्षर फर्जी थे। लेकिन उन्हें कुछ कार्य आदेशों के विरुद्ध भुगतान प्राप्त हुआ था जिसके लिए उन्होंने कार्य को संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया था। जिन कार्यदेशों के विरुद्ध पूर्व में निष्पादित कार्य या तो अपूर्ण था या कोई कार्य नहीं किया गया था, उन्होंने संबंधित रेलवे अधिकारी को फंसाने की संदिग्ध मंशा से फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया। शिकायत मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि कार्य आदेशों पर ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रदर्शित ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के समान नहीं थे। ऐसा होने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय के रूप में, पी.एच. ओ.डी. से एक एस.आई.एल. जारी करने का अनुरोध किया गया था।

इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि कार्य आदेशों पर ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर देखने से पहले, भविष्य में सतर्कता मामलों के उत्पन्न होने से बचने के लिए इसे पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ठीक से मिलान किया जाना चाहिए।

4. निविदा की स्वीकृति एवं स्वीकृति पत्र जारी करने में अनियमितता:—

 मनोज प्रभाकर, मुसतानि/इंजी./पूरमे

एक सतर्कता मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि निविदा की वैधता के समाप्ति के बाद निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निविदा को स्वीकृत किया गया तथा कनवेनर द्वारा स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया। शिकायत मामले की जांच के दौरान पाया गया कि निविदा की वैधता के समाप्ति के बाद निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निविदा को स्वीकृत किया गया तथा कनवेनर द्वारा स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया।

इस अनियमितता के लिए एक कर्मचारी के खिलाफ लघु दंड तथा एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ दीर्घ दंड की सिफारिश की गयी है जिसे अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड भेजा गया है।

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किये बिना आर्किटेक्चरल ड्राइंग के आधार पर संविदा में वृहद परिवर्तन एवं कार्य को निष्पादित करने तथा “आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रस्तुत करने” की मद का भुगतान करने के संबंध में:—

 सतीश कुमार, मुसतानि/इंजी./पूरमे

निविदा फाईल की जांच के दौरान यह पाया गया कि कार्य के लिए “आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रस्तुत करने” की मद को कार्य अनुसूची में शामिल किया

3. Witnessing contractor/his representative's signature on work order:-

In a vigilance case, the contractor/his representative had alleged that his signature on some work orders of zonal work was fake. But he had received the payment against some work orders for which he had executed the work satisfactorily. For work orders against which the work executed was either incomplete or no work done, he leveled the allegation of fake signature with dubious intention to embroil the Railway official concerned. During investigation of the complaint case, it was found that the contractor/his representative's signature on the work orders were not identical with the contractor/representative's signature appearing on the Power of attorney. As a preventive measure to avoid recurrence of such happening, the PHOD was requested to issue a SIL.

It is therefore emphasized that prior to witnessing the contractor/his representative's signature on work orders, the same should be matched properly with power of attorney to avoid arising of vigilance cases in future.

4. Irregularity in issuing of LOA after expiry of validity of Tender: -

 **Manoj Prabhakar**, CVI/Engg/ECR

In a vigilance case, the complainant had alleged that tender of work accepted by TAA after expiry of validity of offer and also LOA issued after validity of offer. During investigation of the complaint case, it was found that tender was accepted by TAA after expiry of validity of tender and also LOA issued after validity of offer.

Minor penalty against one official & Major penalty against other official have been recommended for this irregularity and sent to Railway Board for approval.

5. Regarding making payment of item of "submission of architectural drawing" & executing the work and making major variation in the contract on the basis of the architectural drawing not approved by the competent authority.

 **Satish Kumar**, CVI/Engg/ECR

During scrutiny of tender file, it is found that as item was included in schedule of works regarding submission of architectural

गया था। मद के विवरण के अनुसार (i) बिल्डिंग के साथ-साथ सर्कुलेटिंग एरिया, प्रवेश द्वार, फेस आदि सहित आर्किटेक्चरल मास्टर प्लान के विस्तृत लेआउट प्लान। रेलवे से अनुमोदन के लिए ड्राइंग को तीन ड्राफ्ट प्रतियों के साथ दो सीडी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। रेलवे से मंजूरी के बाद ट्रेसिंग ड्राइंग प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद स्कैन की गई ड्राइंग की चार प्रतियों के साथ दो सीडी प्रस्तुत की जाएंगी। स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर ड्राइंग, मास्टर प्लान और अन्य सभी प्लान प्रस्तुत किए जाने हैं। लेकिन यह पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन के बिना इस मद का भुगतान किया गया था। साथ ही इस ड्राइंग के आधार पर कार्य में वृहद परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था, जो अत्यधिक अनियमित है।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि भुगतान करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्राइंग को अनुमोदित करा दिया जाना चाहिए और केवल अनुमोदित ड्राइंग के आधार पर कार्य कराया जाना चाहिए अथवा भिन्नता विवरण को तैयार किया जाना चाहिए।

*

“पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से
हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच
पुल का निर्माण कर सकते हैं।”

— सर्वपल्ली राधा कृष्णन

drawing for the work. As per description of the item(i) Architectural master plan along with detailed layout plan of building including circulating area, entrance gate, faced, etc. Drawing will be submitted in three draft copies along with two CDs for approval from Railway. After approval from railway tracing drawing will be submitted. After signature of concerned officials four copies of scanned drawing will be submitted along with two CDs. The master plan and all other plans and drawing to be submitted within 15 days of issue of LOA. But it was found that the payment of this item was made without approval of the drawing by the competent authority. Also major variation was proposed in the work on the basis of this drawing, which is highly irregular.

Hence it is advised that the drawings should be approved by competent authority before making payment for it and work execution as well as variation statement (if any) should be prepared strictly based on approved drawing only.

*

***"The Highest Education is that
which does not merely give
us informaton but makes our life
in harmony with all existence."***

– Rabindra Nath Tagore

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

1. स्क्रेप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन में अनियमितता।

 **शैलेन्द्र कुमार**, मुसतानि / भंडार / पूमरे

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में कर्षण वितरण विभाग के ओ.एच.ई. डिपो में स्क्रेप सामग्री के रख-रखाव और निपटान से संबंधित निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि स्क्रेप कॉपर कॉन्टैक्ट वायर और स्क्रेप कॉपर कैटेनरी वायर के बिके हुए लॉट पर बोली पत्र में दर्शायी गई मात्रा से अधिक स्क्रेप है। उक्त लॉट को तौलने पर पाया गया कि स्क्रेप कॉपर कॉन्टैक्ट वायर और स्क्रेप कॉपर कैटेनरी वायर की मात्रा बोली पत्र में दर्शायी गई मात्रा दोगुना से ज्यादा थी। सतर्कता जाँच में यह पाया गया कि अतिरिक्त पाए गये स्क्रेप कॉपर कॉन्टैक्ट वायर और स्क्रेप कॉपर कैटेनरी वायर का लेखा-जोखा भी संबंधित लेजर में दर्ज नहीं था। बेहिसाब पाए गए स्क्रेप का अनुमानित मूल्य लगभग 16 लाख था।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन व अपील नियम के अन्तर्गत दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

2. फील्ड इकाइयों द्वारा भंडार का संचालन और उनके अभिलेखों का रखरखाव

 **सुनील सिंह**, मुसतानि / भंडार / पूमरे

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में फील्ड इकाइयों द्वारा भंडार के संचालन और उनके अभिलेखों के रखरखाव के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न विसंगतियाँ पाई गई :-

1. सभी मंडलों में एक प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।
2. एम. ए. नोट बुक दैनिक आधार पर नहीं भरा जा रहा था, यह त्रैमासिक अथवा छमाही आधार पर भरा जा रहा था। कुछ फील्ड इकाइयों में दो साल से एम. ए. नोट बुक नहीं भरा गया था। एम. ए. नोट बुक में एस.एस.ई. के हस्ताक्षर के नीचे तिथि का उल्लेख किसी भी फील्ड इकाई में नहीं किया जा रहा था।

3. फील्ड इकाइयों में मासिक रिटर्न मासिक आधार पर नहीं जमा किया जा रहा था, यह अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर जमा किया जा रहा था। कुछ फील्ड इकाइयों में दो-तीन साल से मासिक रिटर्न जमा नहीं किया गया था।
4. किसी भी लेजर के प्रथम पृष्ठ पर जूनियर स्केल अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।
5. कुछ फील्ड इकाइयों में नये और स्कैप रेल पथ सामग्री के लेजर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
6. कुछ फील्ड इकाइयों में स्कैप रेल पथ सामग्री के लेजर में दो साल से कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी।
7. फील्ड इकाइयों में मैटेरियल एट साइट का त्रैमासिक रिटर्न समय पर जमा नहीं किया जा रहा था। कुछ फील्ड इकाइयों में मैटेरियल एट साइट का त्रैमासिक रिटर्न जमा करने हेतु छः माह से दो साल तक लंबित था।

उपरोक्त विसंगति के निवारण हेतु प्रधान मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया है तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लघु दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

3. रेलवे सुरक्षा बल के मंडल कार्यालयों में एन0आई0पी0 के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितता

 इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा/पूररे

पूर्व मध्य रेल के एक रेसुब मंडल कार्यालय में एन0आई0पी0 के कार्यान्वयन के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

1. दीर्घ शास्ति दंड के एक मामले में दि0 14.12.2020 को प्रदत्त सजा Reduction of his present pay to 02 stage down for 02 years with cumulative effect (CE) with immediate effect को लागू करने में एक साल का विलम्ब होना पाया गया है।
2. लघु शास्ति दंड के एक मामले में दिनांक 21.06.2021 को प्रदत्त सजा Reduction of his present pay to one stage down for 03 months with immediate effect को लागू करने में एक साल का विलम्ब होना पाया गया है।

3. लघु शास्ति दंड के एक मामले में दिनांक 16.06.2020 को प्रदत्त सजा Withholding of his Next increment for 06 months with NCE को जुलाई 2020 में वेतनवृद्धि रोका जाना था परन्तु नहीं रोका गया अर्थात् सजा लागू किया जाना नहीं पाया गया।
4. लघु शास्ति दंड के चार मामलों में NIP में सजा One stage down for a period of 03 months with immediate effect अंकित किया जाना पाया गया परन्तु विवरण में सजा के संचयी (Cumulative) अथवा असंचयी (Non Cumulative) का विवरण अंकित किया जाना नहीं पाया गया। बाद में चार मामलों में से तीन मामलों में शुद्धि पत्र जारी करते हुए सजा को Non Cumulative दर्शाया गया है। जो एक गम्भीर मामला है।
5. दीर्घ शास्ति दंड से संबंधित 08 NIP के मामलों में से 07 मामलों के SR प्रविष्टि पर सक्षम अधिकारी (Competent authority) का हस्ताक्षर लिया जाना नहीं पाया गया। इसी प्रकार लघु शास्ति दंड के भी अधिकतर SR प्रविष्टि पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।
6. लघु शास्ति दंड के कुछ मामलों में स्टेज डाउन करने के बदले वेतनवृद्धि रोका जाना पाया गया है।
7. लघु शास्ति दंड के कुछ मामलों में वेतनवृद्धि रोके जाने के बदले स्टेज डाउन कर दिया जाना पाया गया।

सभी पहलुओं पर जाँचोपरांत उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को निदेशित किया जाएगा।

4. स्क्रैप गबन का केस

 सुनील कुमार झा, मुसतानि/भंडार/पूमरे

प्राप्त सूचना के आधार पर किये गए निवारक जाँच में पाया गया की, दूरदराज स्थान (P1) में रखे हुए रेल इंजन के स्क्रैप को, एक कार्यालय (P2) में पदस्थापित कर्मचारी, अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मचारी की मिलीभगत से गबन किया गया। इस मामले में तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई दस्तावेज को जब्त कर गहन जाँच किया गया। उनमें से कुछ दस्तावेजों को केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजा गया था। इस मामले में 03 अधिकारियों और 14 कर्मचारियों का स्पस्टीकरण लिया गया और उनके बयानों को एक दूसरे से क्रॉस चेकिंग किया गया। संदिग्ध लोगों को कॉल विवरण

रिकॉर्ड के सहारे भी संदिग्ध बयानों की जाँच की गयी। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी खंगाला गया था।

विस्तृत गहन जाँच के उपरांत निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए, जो कि इस प्रकार है :-

दूरदराज (P1) में रखे हुए रेल इंजन के कुछ स्कैप को, कार्यालय (P2) में लाने के लिए, कनिष्ठ स्कैल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ दो कर्मचारियों (E1, E2) को बुकिंग कर दूरदराज स्थान (P1) भेजे थे। दोनों कर्मचारी ने सामान तो उठवाया, परन्तु गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचाया। सुरक्षा कर्मचारी ने इस मामले के उजागर के उपरांत केस दर्ज करवाया गया।

दर्ज केस में शुरु में प्रथम सिट्रप के अनुसार आठ लोगो को अभियुक्त बनाया गया था, परन्तु बाद में उच्च सुरक्षा अधिकारी के दबाव में रोजनामचा के पन्ने को बदलकर, उसी मामले में एक अभियुक्त को बचाने के लिए उनका नाम हटा कर दूसरा सिट्रप जारी किया गया, जिसमें सात अभियुक्त का ही नाम दर्ज था। साथ ही साथ केस दर्ज के 17 दिन बीत जाने के बाद इस मामले को आर.एस.एम.एस में दर्ज किया गया था।

सभी पहलुओं पर जाँच के उपरान्त सभी संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा की गयी है।

5. निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता में विसंगतियाँ

 प्रेम कुमार, मुसतानि/चिकित्सा

रोगियों के रेफरल के लिए जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता एवं निजी अस्पतालों में रोगियों को रेफर करने की प्रक्रिया के पहलू पर की गई निवारक जाँच के दौरान, यह नोट किया गया कि ईसीआर के दो अलग-अलग मंडल रेलवे अस्पतालों द्वारा 'ए' नामक एक निजी अस्पताल को अस्पताल टैरिफ पर दो अलग-अलग छूट के साथ उस प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसके लिए सीजीएचएस दर उपलब्ध नहीं था। आरबी पत्र नंबर 2016/एच-1/11/69/हॉस्पिटल मान्यता दिनांक-23.12.2016 के उल्लंघन में दो अलग-अलग एमओयू तैयार किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक बार रेलवे की किसी भी इकाई द्वारा अस्पताल को मान्यता दे दी गई है, तो उसे पूरे भारतीय रेलवे के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सीजीएचएस दरों से विचलन के मामले में, दोनों पक्षों के बीच उन प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल टैरिफ पर छूट के लिए एक

औचित्य बनाया गया, जो सीजीएचएस दर सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं। 'ए' डिजीजन और 'बी' डिजीजन द्वारा एक ही निजी अस्पताल को दो अलग-अलग छूट अर्थात् अस्पताल टैरिफ पर 20% एवं 15% पर पैनल में शामिल किया गया था।

समझौता ज्ञापन के अनुसार अस्पताल टैरिफ पर छूट में अंतर के मामले में, मंडल अस्पताल ए को प्रस्तुत उक्त निजी अस्पताल के बिलों की जांच की गई और उन प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल टैरिफ पर स्वचालित रूप से 20% की ही कटौती की गई जिसके लिए सीजीएचएस दर सूची में उपलब्ध नहीं था। 'ए' डिजीजन के साथ अस्पताल टैरिफ पर 15% छूट के समझौते के बावजूद, उक्त निजी अस्पताल रेलवे को सुविधाएं प्रदान करने के रूप में अस्पताल टैरिफ पर 20% की समान छूट पर ही उपचार सुविधा दिया था।

उपरोक्त के अलावा, रोगियों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया की भी जांच की गई, जिसके दौरान यह नोट किया गया कि आरबी एल/नंबर 2016/एच-1/11/69/हॉस्पिटल मान्यता दिनांक-23.12.2016 के अनुलग्नक 1.6 में निर्धारित रोगियों के रेफरल की प्रक्रिया का ईसीआर की किसी भी इकाई द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। रोगी का रेफरल पत्र अभी भी ईसीआर की सभी इकाइयों द्वारा ऑफलाइन तैयार किया जा रहा है, जबकि इसे यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर ऑनलाइन तैयार किया जाना है। रोगी के रेफरल पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में पत्र के उपर्युक्त अनुलग्नक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

सुधार का संक्षिप्त विवरण

- (क) रोगियों के रेफरल के लिए जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता एवं निजी अस्पतालों में रोगियों को रेफर करने की प्रक्रिया के पहलू पर की गई निवारक जांच में उल्लिखित अनियमितताओं पर एक प्रणाली सुधार दिया गया था।
- (ख) (1) रेलवे बोर्ड के पत्र सं- 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक 23.12.2016 के पैरा 5 के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए सीजीएचएस दरों से विचलन के मामले में ईसीआर की दो रेलवे इकाइयों ए और बी ने क्रमशः अस्पताल टैरिफ पर 15% और 20% की अलग-अलग छूट पर एक निजी अस्पताल को अलग-अलग सूचीबद्ध किया था।

- (2) ऑनलाइन रेफरल पेपर तैयार करने के लिए इस सुधार पत्र के माध्यम से पीसीएमडी को भी सूचित किया गया था।
- (3) इस जांच के कारण सीजीएचएस दर से विचलन के मामले में अस्पताल टैरिफ पर 5% की मौद्रिक हानि के जोखिम को कम किया गया।
- (4) रेलवे इकाई 'क' के समझौता ज्ञापन को संबंधित निजी अस्पताल के परामर्श से ठीक कर दिया गया है।
- (5) इस प्रणाली में सुधार के कारण, भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोका जा सकता है।

“मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि देश के भ्रष्टाचार मुक्त होने और सुन्दर मस्तिष्कों का राष्ट्र बनने के लिए तीन मुख्य सामाजिक सदस्य हैं जो कि बदलाव लेकर आ सकते हैं, और वे हैं... माता, पिता और शिक्षक

संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक

1. रेलवे कार्यालय में व्यक्तिगत उपयोग में अनियमितता।

 **राजीव कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / विद्युत

परिचय:- पूर्व मध्य रेल के एक टीआरडी डिपो में सतर्कता निवारक जांच की गई जिसमें रेलवे कार्यालय का अनधिकृत व्यक्तिगत उपयोग के पहलू की जांच की गई।

तथ्य एवं अवलोकन:- सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि रेलवे का एक कर्मचारी लंबे समय से टीआरडी डिपो में सेक्शन इंजीनियर कक्ष में अनधिकृत रूप से रह रहा था और मकान किराया भत्ता भी प्राप्त कर रहा था।

इस निजी लाभ के लिए सरकारी परिसर और बिजली की खपत का दुरुपयोग किया जा रहा है जिससे रेलवे राजस्व का नुकसान हो रहा था।

जांच का निष्कर्ष:- उपरोक्त विसंगति के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ डी. एंड ए. आर. के तहत कार्रवाई की गई है।

2. हाउस कीपिंग/साफ-सफाई के ठेके निष्पादन में अनियमितता।

परिचय:- पूर्व मध्य रेल के एक रनिंग रूम में, हाउस कीपिंग/साफ-सफाई अनुबंध के पहलू पर एक सतर्कता निवारक जांच की गई।

तथ्य एवं अवलोकन :- सतर्कता जांच के दौरान निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई :-

- (i) संविदा कर्मचारी संविदा अनुसूची के अनुसार वर्दी में नहीं थे।
- (ii) प्रभारी के पास संविदा कर्मचारियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था।
- (iii) घरेलू एलपीजी सिलेंडर रसोई घर में इस्तेमाल किया हुआ मिला।
- (iv) रनिंग रूम इंचार्ज द्वारा संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका पर ड्यूटी समाप्ति हस्ताक्षर नहीं कराया गया।

जांच का निष्कर्ष :- कंपनी (फर्म) पर 1,53,000/- (एक लाख तिरपन हजार रुपये) का जुर्माना एवं रनिंग रूम प्रभारी को एसएफ-11 जारी किया गया है।

Case Study

S & T, Electrical and Mechanical

1. Irregularity in use of personal use of Railway office.

 **Rajiv Kumar**, Chief Vigilance Inspector/Elect

Introduction : - A preventive vigilance check was conducted in a TRD depot of ECR on aspect of unauthorised personal use of Railway office.

Facts & Observation :- During vigilance check it was found that one Railway official was staying unofficially in Section Engineer Room in TRD depot since long and also availing house rent allowances.

This is unauthorised use of government premises and electric consumption for personal benefit causing loss to Railway revenue.

The conclusion of the investigation :- D&AR action against responsible official have been taken for the above anomaly.

2. Irregularity in execution of Housekeeping/ Cleaning contract.

Introduction: - A preventive vigilance check was conducted in a Running Room of ECR on aspect execution of Housekeeping/ Cleaning contract.

Facts & Observation: -During vigilance check the following observation have been found: -

- (i) **Contractual staffs were not in uniform as per contract schedule.**
- (ii) **Medical certificate of contractual staff was not available with in charge.**
- (iii) **Domestic LPG cylinder found in connection in kitchen.**
- (iv) **Closing sign not done on attendance of contractual staff by Running Room In charge.**

The conclusion of the investigation: - A penalty of Rs. One Lakh Fifty three thousand (153000/-) have been imposed on firm and SF-11 issued to Running Room In charge.

3. Consignee द्वारा संकेत एवं दूरसंचार सामग्रियों के निरीक्षण में अनियमितताएं।

 **रण विजय कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/एस एंड टी

पूर्व मध्य रेल के एस एंड टी विभाग में “Consignee, राइट्स एवं आरडीएसओ द्वारा सामग्री के निरीक्षण में अनियमितता” के पहलू पर एक सतर्कता निवारक जांच की गई। जांच के दौरान निम्न विसंगतियां पाई गई :-

- (i) लगभग 80% से अधिक निरीक्षण प्रमाण पत्र “निरीक्षण की तिथि” के बिना पाए गए।
- (ii) लगभग 95% निरीक्षण प्रमाण पत्र ऐसे थे जिसमें Consignee और अधिकारी ने हस्ताक्षर बिना तारीख के किए थे।
- (iii) 93 निरीक्षण प्रमाण पत्रों की जांच की गई जिसमें सामग्री का कोई पहचान चिह्न दर्ज नहीं किया गया जैसे सामग्री का क्रमांक संख्या, मेक, मॉडल संख्या, बैच संख्या, आयाम आदि।
- (iv) सभी निरीक्षण प्रमाण पत्रों में निरीक्षण का स्थान फर्म के परिसर में दिखाया गया था लेकिन Consignee फर्म के साइट कार्यालय या उसके परिसर में सामग्री के निरीक्षण के लिए फर्म का अनुरोध पत्र या निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्रस्तुत करने में असमर्थ हुए।

जांच का निष्कर्ष :- यह एक संरक्षा संबंधी कार्य था एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे जो कि भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल (IRSEM), जुलाई 2021 के पैरा-6.12.1 का उल्लंघन है। इसलिए, जिम्मेदार रेलवे कार्मिकों के विरुद्ध उपयुक्त डी एंड ए आर के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

4. ट्रेन के रख-रखाव हेतु रेलवे कर्मचारियों की तैनाती में अनियमितताएं।

 **अवनीश कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यांत्रिक

परिचय :- पूर्व मध्य रेल के एक कैरेज एवं वैगन डिपो में ट्रेन के रख-रखाव हेतु रेलवे कर्मचारियों की तैनाती पर एक सतर्कता निवारक जांच किया गया।

3. Irregularities in inspection of S&T materials by consignee.

 **Ran Vijay Kumar**, Chief Vigilance Inspector/S&T

A preventive vigilance check was conducted in S&T department of East Central Railway on the aspect of “Irregularities in inspection of materials by consignee, RITES and RDSO”. Anomalies found during investigation are as under:-

- (i) More than 80% inspection certificates were found without “Date of inspection”.
- (ii) About 95% of the inspection certificates were such that the consignee and the officer had signed without the date.
- (iii) No identification Marks e.g. Serial number of materials, Make, Model no., batch number, dimension etc were recorded in 93 inspection certificates.
- (iv) Place of inspection in all the inspection certificates were at the firm’s premises but the consignee is unable to produce the request letter of firm for inspection of materials at firm’s site office or premises or order of competent authority for inspection and also failed provide firms address.

Conclusion: - This was a safety related work and inspection certificates were not prepared as per laid down procedure which is violation of Para-6.12.1 of Indian Railway Signal Engineering Manual (IRSEM), July-2021. Therefore, suitable D&AR action against responsible Railway officials is recommended.

4. Irregularity in of deployment of Railway staff for maintenance of Train.

 **Avanish Kumar**, Chief Vigilance Inspector/Mech

Introduction : - A preventive vigilance check was conducted in a carriage and wagon depot of ECR on the aspect deployment of Railway staff for maintenance of Train.

तथ्य एवं अवलोकन:— सतर्कता जांच के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किए गए :—

- (i) कैरेज एवं वैगन अनुरक्षण डिपो में एक वरिष्ठ तकनीशियन द्वारा लंबे समय से गाड़ी के अंदर गियर में अनुरक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा था।
- (ii) कैरेज एवं वैगन अनुरक्षण डिपो में वरिष्ठ तकनीशियन के स्थान पर लंबे समय से एक गैर-रेलवे व्यक्ति अनधिकृत रूप से कार्य कर रहा था।
- (iii) इस अनधिकृत गतिविधि के बारे में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अवगत था एवं उसकी सहमति से किया जा रहा था।
- (iv) अनधिकृत गैर-रेलवे व्यक्ति द्वारा किया गया रखरखाव कार्य संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

जांच का निष्कर्ष :—

उपरोक्त विसंगति के लिए दो वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/सी एंड डब्ल्यू एवं वरिष्ठ तकनीशियन/सी एंड डब्ल्यू के खिलाफ एसएफ-5 की अनुशंसा की गई है।

5. नव-निर्मित रेलवे क्वॉटर में विद्युत कार्य की अनियमितताएं।

 **रनजीत कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / विद्युत**

नव-निर्मित टाइप-V रेलवे क्वॉटर, आउट हाउस, कार पार्किंग शेड, ड्राईवर रूम और कैंपस के निर्माण के संबंध में विद्युत कार्य के अनुमान एवं टेंडर शेड्यूल में कार्य के अवास्तविक मूल्यांकन के पहलू पर पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक सतर्कता जांच की गई।

जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:—

- (i) साइट सत्यापन के बिना कार्य प्रस्तावित किया गया था।
- (ii) प्राक्कलन में, रेलवे बोर्ड का निर्देश 2006/इलेक्ट (जी)/180/11/भाग. दिनांक 21.06.2016 में दर्शाए गए नव-निर्मित रेलवे क्वॉटर के विद्युत फिटिंग्स पैमाने का जान-बूझकर उल्लंघन किया गया।
- (iii) उच्च अतिशयोक्तिपूर्ण एवं बढ़ा हुआ प्राक्कलन तैयार किया गया अर्थात विद्युत कार्य संबंधी विभिन्न वस्तुओं को अनुसूची में अत्यधिक मात्रा में प्रस्तावित किया गया जिससे प्राक्कलित कार्य की लागत में वृद्धि हुई।

Facts & Observation: - During vigilance check the following observation have been found: -

- (i) One Sr. Tech. of carriage and wagon maintenance depot was not doing his under gear maintenance work of train since long time.
- (ii) Unauthorized non-Railway man was working in place of that Sr. Tech. since long time.
- (iii) SSE carriage and wagon depot was aware of this fact and same was being done with his consent.
- (iv) The maintenance work done by unauthorized non-Railway man can lose a security & safety hazard.

Conclusion :-

SF-5 has been issued against two SSE/C&W and Sr. Tech/C&W for the above anomaly.

5. Irregularities of Electrical work in newly constructed Railway quarters.

 **Ranjeet Kumar**, Chief Vigilance Inspector/Elect

A preventive vigilance check was conducted in one Division of ECR on the aspect of Unrealistic assessment of work in Estimate of electrical work and tender schedule in connection with construction of type-V new Railway quarter with Out house, Car parking shed, driver room & Campus/Surrounding area.

During check following irregularities were observed: -

- (i) Work was proposed without site verification.
- (ii) Railway Board instruction 2006/Elect. (G)/180/11/Pt. dated 21.06.2016 was deliberately violated with respect to scale of electrical fittings for the new Railway quarter, in the estimate.
- (iii) Highly exaggerated and inflated estimate was prepared i.e. various schedule items were proposed in exorbitant quantity causing high cost of estimate work.

- (iv) प्राक्कलन का ऐसा अवास्तविक आकलन रेल अधिकारियों के रेल राजस्व की हेराफेरी करने की गलत मंशा से किया गया।
- (v) उपरोक्त वर्णित तथ्यों की अनदेखी करते हुए, अत्यधिक और अवास्तविक अनुमान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया जो कि उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।
- (vi) इसके अलावा, वित्तीय सहमति के बिना निविदा आमंत्रित की गई जिससे एसओपी के कार्य मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ।
- (vii) बिना अनुबंध किए आंशिक कार्य किया जाना पाया गया।
- (viii) एक अधिकारी एवं दो कर्मचारियों के विरुद्ध दीर्घ दण्ड एवं एक अधिकारी के विरुद्ध लघु दण्ड की कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

6. एस एंड टी भंडार के रख-रखाव में अनियमितताएं।

 राम अनुज वर्मा, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/एस एंड टी

एक निवारक जांच के दौरान, एस एंड टी भंडार के रख-रखाव के मामले में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:-

- एस एंड टी भंडार में लेखा पुस्तिका ठीक से भरी हुई नहीं थी।
- जांच के दौरान कई सामग्रियों का लेजर बैलेंस और वास्तविक बैलेंस बेमेल पाया गया।
- उपरोक्त अनियमितताओं के जिम्मेदार रेल कर्मचारी के विरुद्ध डी एंड आर कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

*

**बुकिंग कार्यालय में
अद्यतन किराया सूची प्रदर्शित करें
और सुनिश्चित करें कि
टिकट काउंटर पर किराया संकेत बोर्ड
काम करने की स्थिति में है।**

- (iv) Such unrealistic assessment of estimate was found to be done only on the behest of ulterior motives of Railway officers to siphoned off Railway revenue.
- (v) Ignoring the facts mentioned above, the excessive and unrealistic estimate was approved and sanctioned by competent authority which reflects his malafide intent.
- (vi) Further, tender was called without finance concurrence thereby violated the guidelines stipulated in the SOP of works matter.
- (vii) Partial work was found done without awarding the contract.
- (viii) Major Penalty proceedings against one officer and two officials and Minor Penalty proceedings against one group B officer have been initiated.

6. Irregularities in Maintenance of S & T Store

 **Ram Anuj Verma**, Chief Vigilance Inspector/S&T

During investigation of a preventive check, anomalies have been observed in the case the of “Maintenance of S & T Store.” The anomalies are as follows:

- Ledgers of S & T store was not maintained properly.
- During Check it was found mismatch of many materials from ledger balance to ground balance.
- D & AR action has been taken against railway official responsible for above irregularities.

*

इंडेंट की मात्रा को मंजूरी देते समय
सुनिश्चित करें कि
मात्रा न्यूनतम और वास्तविक
आवश्यकता के अनुसार है।

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.—13 / 2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर — 844101

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50
प्रमुख संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

दिनांक : 07.09.2021

विषय:— सामग्री एवं खाता बही के रखरखाव के संबंध में प्रणाली सुधार।

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/सोनपुर मंडल के अधीन सिगनल/भंडार में सामग्री के लेखा-जोखा के संबंध में एक निवारक जांच किया गया। जांच रिपोर्ट एवं अन्य संलग्न कागजातों के आधार पर यह निम्नानुसार है:—

- (i) एसएसई/सिगनल/भंडार, सोनपुर में सामग्री एवं खाता-बही का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में कार्यकारी द्वारा पर्यवेक्षकों एवं कार्यालय अधीक्षकों को उचित परामर्श की आवश्यकता है।
- (ii) 2014 से लेखा विभाग द्वारा कोई स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया है। इसे आवधिक के अनुसार करने की आवश्यकता है।
- (iii) अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सामग्री का निरीक्षण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है और प्रेषिती द्वारा जारी कोई सामग्री निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

बहरहाल, वर्तमान समय में, यह व्यवस्था के कुशल संचार के लिए और उपरोक्त त्रुटि से बचने के लिए प्रशासन द्वारा प्रणाली सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(संतोष कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 13/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 07.09.2021

**CSTE
East Central Railway
Hajipur.**

Sub :- System improvement regarding upkeep of material and ledger maintenance.

During a preventive check conducted on the aspect of accountal of materials at Signal store/SEE under Sr. DSTE/SEE. On the basis of investigation reports and other attached documents it follows that:-

- (i) Upkeeping of materials and ledger maintenance is not satisfactory at SSE/Signal store at SEE. Proper counseling of concern supervisors and OS is required by Executive.
- (ii) No Stock Verification has been done by Accounts department since 2014. It needs to be done as per periodicity.
- (iii) Material inspection is not done properly by Supervisors and Officers and no material inspection certificate issued by consignee.

Although there is Vigilance angle in this instant case but System improvements needs to be issued by administration for efficient working of system and to avoid above lapse.

(Santosh Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer/Elect
East Central Railway

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-14 / 2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 20.10.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- बिना लिखित आदेश के एक इकाई से दूसरे इकाई में कार्य करवाने से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में जांच के दौरान पाया गया कि एक इकाई के कई कर्मचारी लंबी अवधि से अपने इकाई (यूनिट) में मूल कार्य ना कर अन्य इकाइयों में कार्य कर रहे थे। इस संदर्भ में यह भी देखा गया कि संबंधित इकाई के पास इस तरह कार्य करवाने के अवधि के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और केवल मौखिक आदेश पर बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से अन्य यूनिटों में कार्य कर रहे थे। इनकी उपस्थिति बाहर कार्यरत कर्मियों के पर्यवेक्षक द्वारा भेजे गए चेकशीटों के आधार पर किया जा रहा था।

विषय कि चर्चा शाखाध्यक्ष से करने पर पाया गया कि इसकी जानकारी उनको भी नहीं थी क्योंकि यह परिपाटी काफी पुराने समय से जारी थी। संभव है कि इस तरह की परिपाटी विभिन्न मंडलों के कई और इकाइयों में भी प्रचलित हो सकती है।

अतः मामले को संज्ञान में रखकर ये अनुशंसा की जाती है कि यदि किसी भी कर्मचारी को अपने मूल इकाई से बाहर कार्य करवाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लिखित आदेश प्राप्त किया जाना यथोचित है।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 14/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 20.10.2021

**Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur.**

**Sub.:- SIL regarding working of staff from one unit to another
without written order.**

During investigation of a complain case in one division of ECR, it was found that many staff of one unit were working outside their own unit. It is also found that there was no record of the period since when the staff were working outside and the staffs were working outside of their own unit on verbal order of the higher officers. Their salaries were being charged on the basis of Check Sheets received from the concerned supervisor under whom they were working outside of this unit.

The matter was discussed with the Branch Officer who was unaware of this fact as this practice was continuing since very long. It is possible that same practice might be following in other divisions as well.

Therefore considering the facts of the matter, it is advised that if any staff works outside of their own unit, then written order should be issued properly in this regard.

This issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)

Dy. CVO/Accounts & Personnel
For GM (Vigilance)/ECR/HJP

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-15 / 2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 16.12.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

**विषय :- रेलवे कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य के संबंध में
प्रणाली सुधार पत्र।**

एक मामले की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि जोनल अनुबंध के माध्यम से निष्पादित कॉलोनी सड़क की मरम्मत के कार्य में, उच्च मूल्य की मद जैसे 50 मिमी कॉम्पैक्ट मोटार्ई (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-231061), पुरानी सतह पर सतह की ड्रेसिंग (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-232030) एवं 40 मिमी मोटी बिटुमैस्टिक शीट (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-234020) को मंडल द्वारा संयोजन में संचालित किया गया था जो कॉलोनी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कॉलोनी में भारी यातायात मौजूद नहीं है। इसलिए, कॉलोनी सड़क की मरम्मत के लिए, संचालित मदों को यूएसएसओआर-2012 में उपलब्ध अन्य किफायती और उचित मदों के साथ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कॉलोनी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए मंडल में कोई मानक रेखाचित्र/स्केच उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, रेलवे कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र जारी करने के साथ-साथ कार्य के लिए मानक रेखांकन जारी करने का अनुरोध किया जाता है और साथ ही कॉलोनी सड़क की मरम्मत को किफायती रखने के लिए अनुसूची में संचालित मदों के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश भी जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 15/2021



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 16.12.2021

**Principal Chief Engineer
E.C.Railway
Hajipur.**

**Sub :- System improvement regarding road work in
Railway colony.**

During investigation of a case, it has been observed that in a work of repair of colony road executed through zonal contract, high value items like 50mm compacted thickness (item No-231061 of USSOR-2012), Surface dressing on old surface (item No-232030 of USSOR-2012) and 40mm thick bitumastic sheet (item No-234020 of USSOR-2012) were operated in combination by division which doesn't appear to be reasonable for repairing work of colony road because in colony, heavy traffic movement does not exist. Hence, for repairing of colony road, items operated should have been done with other economical & reasonable items available in USSOR-2012.

Further, no any standard drawing/sketch was available in division for repairing work of colony road.

In view of the above, it is requested to issue a system improvement letter regarding road work in Railway colony as well as standard drawing for the work and also instruction may be issued for items operated in the schedule for repairing of colony road to be kept economical as per requirement.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy. CVO/Engg
For GM (Vig.)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-16/2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 21.12.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र निगत कराने के संबंध में ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल में निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र संबंधित दंडित कर्मचारी को निर्धारित अवधि में निर्गत नहीं हो सका एवं वह रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया। इस मामले में ऐसा देखा गया कि आरोप पत्र निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राप्ति लिपिक द्वारा इसको ई-ऑफिस पर अपलोड कर एक उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर भेज दिया गया। इस आरोप पत्र को उस उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर बिना किसी कारवाई के लंबे समय तक लंबित रखा गया। बाद में इसको कार्मिक विभाग के माध्यम से नहीं भेजा गया। इसी बीच संबंधित कर्मी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लिया गया। अतः सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र को संबंधित कर्मी को प्रदान नहीं किया जा सका।

अतः भविष्य में उक्त घटना कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाया जा सकता है :-

1. सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र केवल विशेष पत्रवाहक द्वारा संबंधित इकाई को निर्गत किया जाए। कार्मिक विभाग का यह दायित्व होगा कि इसको मण्डल रेल प्रबन्धक एवं शाखाध्यक्ष के सज्ञान में लाये एवं इसका निष्पादन करवाये।

2. इस मामले में यह भी पाया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बिना सतर्कता विभाग से संपर्क किए भी विजलेंस क्लीयरेंस जारी किया जा रहा है। यद्यपि सतर्कता विभाग द्वारा ही विजलेंस क्लीयरेंस जारी किया जाना उचित है, किन्तु यदि बड़ी संख्या में विजलेंस क्लीयरेंस के लिए सतर्कता विभाग को भेजना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है, तो कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर विजलेंस क्लीयरेंस जारी करने की प्रक्रिया को केवल उन मामले में अपनाया जा सकता है, जिनका संबंध पदोन्नति, MACP, आंतरिक स्थानांतरण इत्यादि से हो। किन्तु उन मामलों में जहाँ रेलकर्मियों रेल सेवा से बाहर जा रहा हो अथवा रेल सेवा से उसका संबंध विच्छेद हो रहा हो यथा अधिवार्षिता, स्वेक्षिक सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, तकनीकी सेवा विमुक्ति की स्थिति इत्यादि, सतर्कता विभाग से ही विजलेंस क्लीयरेंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

कृपया उक्त के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश से संबन्धित प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी निर्गत किया जाए। उक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

बुकिंग कार्यालय में
अद्यतन किराया सूची प्रदर्शित करें और
सुनिश्चित करें कि
टिकट काउंटर पर किराया संकेत बोर्ड
काम करने की स्थिति में है।

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-17 / 2021



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50
कार्यकारी निदेशक स्थापना (आरआरबी)
रेलवे बोर्ड, कमरा सं0 457
रेल भवन, नई दिल्ली ।

दिनांक : 03.12.2021

विषय :- रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीबीटी परीक्षाओं में अनियमितता होने की संभावना ।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय रोजगार अधिसूचना सं0 01 / 2019 के अन्तर्गत एनटीपीसी पद के लिए RRB/Patna, RRB/MFP & RRB/RNC के द्वारा Computer based Test कराने हेतु पटना, गया, आरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, धनबाद एवं हजारीबाग के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा करायी गई ।

सतर्कता जाँच के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर तैनात पर्यवेक्षक उसी केन्द्र/निजी संस्था के होते हैं। इनके द्वारा भी स्वयं परीक्षार्थी बन कर परीक्षा में बैठने की संभावना हो सकती है। उक्त अनियमितता होने की संभावना को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारण किया जा सकता है :-

1. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का संचालन कर रहे निजी संस्था के कर्मचारी परीक्षक (Invigilator) के रूप में तैनात न हों, बल्कि ECA(Examination Conducting Agency) के कर्मचारी परीक्षक के रूप में तैनात हों। रेलवे ऑब्जर्वर एवं रेलवे सुपरवाइजर के द्वारा इन परीक्षकों (Invigilator) के पहचान पत्र की जाँच सुनिश्चित की जाए।

2. परीक्षा केन्द्र में लेब के अंदर ECA द्वारा नामित परीक्षक (Invigilator), रेलवे ऑब्जर्वर, रेलवे सुपरवाइजर एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहे।

3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व परीक्षा केन्द्र का भलीभाँति जाँच वहाँ उपस्थित रेलवे के पर्यवेक्षक (Railway observer) के द्वारा किया जाना चाहिए।

4. परीक्षा केन्द्र पर तैनात ECA(Examination Conducting Agency) के परीक्षकों का साप्ताहिक स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्र पर यादृशिक

(Random) तरीके से किया जाए। यह स्थानांतरण अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि :

1. कार्यकारी निदेशक सतर्कता (लेखा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/महेन्द्रघाट, पटना।

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

चयन में यह सुनिश्चित करें कि
चयन समिति का गठन ठीक से किया गया है
अर्थात्
समिति में एक ही विभाग के
दो अधिकारी शामिल हैं
जिसके लिए चयन किया गया है और
एक व्यक्तिगत विभाग से है।
सदस्यों में से एक को SC/ST वर्ग से
संबंधित होना चाहिए।

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-01/2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 17.11.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर

विषय :- रेफरल पत्र बनाने से पूर्व रोगी से निजी सूचीबद्ध अस्पतालों का विकल्प लिखित रूप में लेने पर प्रणाली सुधार।

निवारक जाँच के दौरान, यह देखा गया कि ईसीआर की विभिन्न अस्पताल इकाइयों में रोगियों/रिश्तेदारों से निजी अस्पतालों के विकल्प/पसंद को लिखित रूप में लेने में कोई समान प्रथा नहीं है। कुछ इकाइयों द्वारा एक अलग प्रोफार्मा पर विकल्प लिया जाता था और कुछ इकाई द्वारा रेफरल पेपर पर ही। अतः एकरूपता लाने एवं इस संबंध में भविष्य में विसंगतियों से बचने के लिए, निम्नलिखित प्रणाली सुधार को लागू करने की आवश्यकता है :-

(क) रेफरल फॉर्म के मौजूदा प्रोफार्मा में निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के रोगी की पसंद का उल्लेख करने के लिए कोई स्तंभ नहीं है। इसलिए, मौजूदा प्रोफार्मा को एक अतिरिक्त कॉलम को शामिल करके संशोधित किया जाना चाहिए ताकि रोगियों को रेफरल निजी अस्पतालों के अपने विकल्प को निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

रोगियों की सुविधा के लिए मौजूदा रेफरल फार्म की बैकसाइड पर निजी अस्पतालों की सूची उनकी विशेषताओं के साथ मुद्रित की जानी चाहिए ताकि रोगी या उनके परिजन उस सूची को देखकर अपना विकल्प दे सकें। अतिरिक्त कॉलम का नमूना नीचे दिया गया है

** रोगी की पसंद :

1. मैं स्वेच्छा से स्वयं या मेरे संबंधी श्री/श्रीमति.....
.....के उपचार के लिए
.....अस्पताल चुनता हूँ। (जैसा कि अनुलग्नक बैकसाइड में दिया गया है)।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 01/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50
Principal Chief Medical Director
East Central Railway,
Hajipur

Dated- 17.11.2022

**Sub :- System Improvement on taking Patient's choice in writing
for private empaneled hospitals before making referral.**

During preventive checks, it was noted that there is no uniform practice at different hospital units of ECR in taking option/choice of private hospitals from patients/relatives in writing being followed. Some units used to take option/choice on a separate proforma and some on referral paper itself. To bring uniformity and avoid discrepancies in future in this regard, following system improvement needs to be implemented:-

(i) The existing proforma of the Referral Form does not have a column to mention the patient's choice of private empanelled hospitals. Therefore, the existing proforma should be modified by including an additional column so that patients can be facilitated to specify their option of referral private hospitals. List of existing private hospitals with their specialties should be printed on the overleaf of the Referral Form for convenience of the patients. The specimen of additional column is as below-

**** Patient's Choice:**

1. I voluntarily
choose _____ Hospital
for treatment of self or my
_____ (as given in
the annexure backside).

2. My dependent family members may be extended treatment as per Railway Board rules. Further, I shall/will be responsible for any false declaration as the case may be.

Employee/patient's signature

(ii) The list of private empaneled hospitals were found to be displayed in A-4 size of paper, which is too small in size. It should be displayed prominently on appropriate size of board at all hospital units of ECR. The list of empaneled hospitals as displayed on the board should be checked and updated time to time.

The above system improvement suggestion may be circulated & implemented scrupulously. Action taken in this regard may be intimated to this office at the earliest.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

***"Corruption is the enemy of development,
and of good governance.
It must be got rid of.
Both the Government and the people at
large must come together to
achieve this National objective."***

– Pratibha Patil

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-02 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 11.04.2022

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- कार्यादेश में ठेकेदार के हस्ताक्षर मिलान के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि जोनल अनुबंध के कार्य आदेश पर साक्षी हस्ताक्षर संबंधित वरिष्ठ खंड अभियन्ता / कार्य द्वारा पाया गया था। लेकिन ठेकेदार / उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी पर किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाय कि जारी किए गए कार्य आदेश पर ठेकेदार / उसके प्रतिनिधि के साक्षी का हस्ताक्षर का मिलान, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी पर किए गए हस्ताक्षर के साथ मेल खाता हो। साथ ही इसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

फाइल नंबर-ईसीआर/विग/वी-3/गज/डीएचएन/04-19/29 (सीवीओ-II)

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 02/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated : 11.04.2022

**Principal Chief Engineer
E.C. Railway
Hajipur.**

**Sub:- System improvement regarding witnessing of
contractor's signature in work order.**

During investigation of a vigilance case, it was found that the signature on the work order of the zonal contract was witnessed by concerned SSE/works. But the signature of the contractor/his representative did not match with the signature done on the power of attorney submitted by the agency.

In view of the above, it is requested to kindly issue a system Improvement letter instructing all concerned to witness the contractor/his representative's signature on the issued work order, only if the same matches with the signature appearing in the power of attorney submitted by the agency. Also, please make available a copy of the same to this office for record.

(Suman Bharti)
Dy. CVO/Engg
For GM (Vig.)

File No.- ECR/Vig/V-3/Gaz/DHN/04-19/29(CVO-II)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-03 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 20.04.2022

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- सर्विस रिकार्ड में सजा की प्रविष्टि की रिकॉर्डिंग के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि सेवा रिकार्ड बुक में सजा की प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग दो साल से अधिक समय तक एनआईपी जारी करने के बाद भी नहीं की जा रही है। डीएआर मामलों के रजिस्टर को बनाए रखने में अनियमितता दिखाई देती है। पर्याप्त जानकारी की कमी होना, जैसे कि कर्मचारी संख्या और पिता का नाम डीएआर रजिस्टर में आरोपित कर्मचारी के नाम और पदनाम की प्रविष्टि में दर्ज नहीं किया गया था जिस कारण एक समान नाम एवं पदनाम वाले कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा करता है। इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए सर्व संबंधितों को निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपायों का सुझाव दिया जाता है:-

- (i) जब आरोपित कर्मचारी को एनआईपी जारी किया जाता है तो उसी समय सर्विस रिकार्ड में एक साथ दर्ज कर सकते हैं। सजा का कार्यान्वयन निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (ii) मास्टर सर्कुलर 5 के पैरा सं. 7 के अनुसार एक आंतरिक जांच का तंत्र होना चाहिए। इसे रेलवे सुधार समिति की सिफारिश संख्या 151 की उसी पंक्ति को लागू किया जाना चाहिए कि कल्याण निरीक्षकों को उनके बीट के डीएआर रजिस्टर को देखने के लिए सौंपा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा देने संबंधी

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 03/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 20.04.2022

**Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur.**

**Sub.:- System Improvement regarding recording of entry of
Punishment in Service Record.**

During investigation of a case, it is observed that recording of entries of Punishment in Service Record Book is being not done even after issue of NIP by more than two years. There appears irregularity in maintaining the register of DAR cases. There was lack of adequate information such as Employee number and Fathers Name were not recorded in the entry of Name and Designation of Charge Officials in DAR cases register and It creates confusion among staff having same Name & Designation. In order to avoid these irregularities, the following system improvement measures are suggested to issue to all concern

- (i) Disciplinary Authorities may record the Punishment in SR concurrently, when NIP issued to Charge Official. Implementation of Punishment must be ensured within stipulated time.
- (ii) There should be a mechanism of internal checks as per Para no. 7 of Master Circular No.05, on Service Record. It should be implemented on the same line of Railway reforms Committee recommendation no.151 that welfare Inspectors to be assigned to look into the DAR register of their Beat and

(iii) डीएआर मामले में आरोपित कर्मचारियों का रजिस्टर, कर्मचारी संख्या, पिता का नाम, जन्म तिथि, रेलवे में नियुक्ति की तिथि और आधार संख्या का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए जो कि डीएआर रजिस्टर में एक समान नाम के मामले में कर्मचारियों की पहचान में अस्पष्टता को समाप्त कर देगा।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए भेजा जाए।

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / विद्युत
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

— स्वामी विवेकानन्द

ensure that Punishment given to official concern is recorded in SR and SR must be updated up to the current position.

- (iii) In DAR case Register of Charge Officials, the details of Employee No. Fathers Name, date of Birth, date of appointment in Railway and Aadhar No should be recorded, which will eliminate the ambiguity in identification of employees in case of same name of Charged officials found in DAR case Register.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Santosh Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Elect.

For GM / Vig.

" It is the Duty of all leading men,
whatever their persuasion or party,
to safeguard the Dignity of India."

– Mahatma Gandhi

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-04 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 25.07.2022

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- पी-वे सामग्री की खरीद के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक मंडल के ट्रैक डिपो में निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि पी-वे सामग्री की खरीद की गई थी जिसे आरडीएसओ टीम द्वारा आपूर्तिकर्ता की साइट और परेषिती एसएसई/पी-वे के ट्रैक डिपो पर ले जाया गया था, की जांच की गई थी। लेकिन परेषिती के डिपो में सामग्री स्वीकार करने से पहले आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। चूंकि सामग्री थोक में खरीदी जाती है और वे महंगी होने के साथ-साथ ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता की जांच परेषिती के ट्रैक डिपो में सामग्री प्राप्त करते समय एक राजपत्रित अधिकारी जो पी-वे में पर्याप्त अनुभव रखता हो, द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाय कि सामग्री प्राप्त करने के समय कंसाइनी डिपो में पी-वे के दक्ष और अनुभवी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही इसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(सुमन भारती)

उप.मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 04/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 25.07.2022

**Principal Chief Engineer
E.C. Railway
Hajipur.**

**Sub:- System improvement regarding procurement of
P. way materials.**

During preventive check in a track depot of a division, it was found that the P. way materials procured were checked by RDSO team at the site of the supplier and transported to the consignee SSE/P. way's track depot. But prior to accepting the materials in consignee's depot, the supplied materials were not checked for their quality. Since the materials are procured in bulk and they are costly as well as vital for safe running of trains, so their quality should be ensured by a gazetted officer conversant with P. way having sufficient experience, at the time of receiving the procured materials in consignee's track depot.

In view of the above, it is requested to kindly issue a system Improvement letter instructing all concerned to get the quality of procured materials assured at consignee depot at the time of receiving the materials, by a P. Way conversant & experienced gazetted officer. Also, please make available a copy of the same to this office for record.

(Suman Bharti)
Dy. CVO/Engg
For GM (Vig.)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-05 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 26.07.2022

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

**विषय :- रेल कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को
समापक भुगतान के मामले में जारी निर्देश ।**

सतर्कता संगठन को प्राप्त एक परिवार की जाँच के दौरान पाया गया कि एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत समापक राशि को प्राप्त करने हेतु मृत कर्मचारी के तलाकशुदा पति एवं मृत कर्मचारी पर आश्रित पुत्र ने आवेदन किया। महाप्रबंधक/विधि के विधिय सलाह के पश्चात् उक्त दोनों आवेदकों से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। इसी क्रम में आश्रित पुत्र की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् तलाकशुदा पति ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर समापक राशि का भुगतान अपने पक्ष में करा लिया। जबकि रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के पैरा 70 (5) के अनुसार तलाकशुदा पति को ग्रेज्युटी का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है। अतः इस मामले में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र माँगने की आवश्यकता ही नहीं थी। बल्कि रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के पैरा 70 (5) के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः इस प्रणामी अनियमितता को रोकने हेतु मंडल/युनिट को निर्देशित किया जा सकता है कि:-

ऐसे मामले जिनमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उसमें बिल तैयार करने वाले एवं पास करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा सावधानी से यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों के आलोक में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है भी अथवा नहीं। रूटिन वे में बिना आवश्यकता

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-06 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 09.09.2021

प्रधान वित्त सलाहकार

एवं

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर ।

विषय :- रेल कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण भुगतान की राशि को किस्तों में वसूली में अनियमितता ।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जॉच के दौरान रेलवे कर्मचारियों के ओवर पेमेंट की वसूली में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

1. **वर्क/ जॉच दस/कित/ह' कडर ; लैड हव उत/पन 2018** (Schedule of powers 2018) के पैरा एफ/52 के अनुसार किसी रेलकर्म को किए गए त्रुटिपूर्ण भुगतान के मामले में वसूली हेतु लेखा विभाग की सहमति किस्तों की संख्या तय करने हेतु आवश्यक है। लेकिन पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जॉच के दौरान यह पाया गया कि किस्त का निर्धारण बिना लेखा विभाग की सहमति लिए कटौती की जा रही थी। साथ ही कटौती में विलंब भी किया जा रहा था। लेखा विभाग के द्वारा सहमति प्राप्त न करने के कारण कटौती में निरंतरता भी नहीं थी और बिना कटौती पूर्ण किए मासिक किस्त बंद कर दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों को शक्तियों की अनुसूची 2018 (Schedule of powers 2018) के पैरा एफ/52 के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दिया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता/पूमरे/हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-07 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 14.09.2022

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : डिपो में स्टॉक मदों के लेखा-जोखा के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक डिपो में स्टॉक मदों के लेखा-जोखा से संबंधित एक मामले की सतर्कता जांच के क्रम में, यह देखा गया कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं को अग्रिम नमूना और तात्कालिकता के नाम पर फर्मों से मांगपत्र विभाग द्वारा सीधे एकत्र/प्राप्त किया जा रहा था। सामग्री स्टॉक आइटम होने के नाते, स्टोर कोड पैरा 1219 और 1220 के अनुसार, आपूर्ति की गई वस्तुओं को पहले स्टोर डिपो के रसीद अनुभाग में प्राप्त किया जाना चाहिए और रसीद अनुभाग के द्वारा वस्तुओं की उचित प्राप्ति, जांच और निरीक्षण के बाह्य आपूर्ति की गई वस्तुओं को संबंधित स्टॉकिंग वार्ड के माध्यम से उपयोग करने वाले विभागों को भेजा जाना चाहिए।

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, सिस्टम सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-08 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 19.09.2022

प्रमुख संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय :- एस. एण्ड टी. कार्यों के लिए समान कार्य की प्रकृति की
परिभाषा के विस्तार के संबंध में प्रणाली सुधार।

सतर्कता मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय, हाजीपुर से पूर्व में जारी किए गए पत्र संख्या ईसीआर/एस.एण्ड टी./पॉलिसी/200 (एसएन डब्ल्यू) भाग-। दिनांक 03.03.2021 के क्रम संख्या 10 के तहत समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा में अस्पष्टता है। एस. एण्ड टी. कार्य के लिए समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करने हेतु मामले को उठाया गया। समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए प्रणाली सुधार पत्र जारी करने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि एस. एण्ड टी. कार्य में समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा में अस्पष्टता की सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

(संतोष कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. पूमरे/विज/वी-5/गेज/एसपीजे/12-21/35/सीवीओ-।।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 08/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated : 19.09.2022

PCSTE

**East Central Railway
Hajipur.**

**Sub.:- System improvement regarding elaboration of the
definition of similar nature of work for S&T works.**

During investigation of a vigilance case it is found that there is ambiguity regarding definition of similar nature of work under serial number 10 of earlier issued letter No. ECR/S&T/Policy/200(SNW) Part-I dated 03.03.2021 from East Central Railway headquarter Hajipur. This raised matter of further elaboration of definition of similar nature of work for S&T work. In order to eliminate any doubt in interpretation of definition of similar nature of work, there is a need to issue system improvement letter regarding this.

Therefore, it is requested to issue necessary guidelines regarding ambiguity in definition of similar nature of work for S&T work.

(Santosh Kumar)

Dy.Chief Vigilance Officer/Elect.
East Central Railway

No.ECR/Vig./V-5/GAZ/SPJ/12-21/35/CVO-II

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-09 / 2022



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 29.08.2022

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

एवं

प्रमुख मुख्य परिवालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय :- गाड़ी संख्या 11062 दिनांक 20.05.2022 के एस.एल.आर. में ओवरलोडिंग का पाया जाना।

संदर्भ :- महाप्रबंधक (सतर्कता)/मध्य रेलवे का पत्र सं० जी.130/पीसी/भी 1/भी. कॉन/ (2022/02/01996) दिनांक: 22.06.2022

लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर दिनांक 20.05.2022 को गाड़ी संख्या 11062 के एस.एल.आर. में आगत पार्सल के रूप में आये समानों की वजन के दौरान पाया गया कि एस.एल.आर. की वहन क्षमता 3.9 टन से 1132 किलोग्राम (1.132 टन) ज्यादा लोड था। जो पूर्व मध्य रेल के तीन अलग-अलग स्टेशनों से भेजे गये थे।

क्र. सं.	पी.डब्ल्यू.सं०	से	तक	गैकैटों की संख्या	लदान के समय वजन (किलोग्राम)	उतराई के समय वजन (किलोग्राम)
1	A847127	जयनगर	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	71	1020	994
2	2014-629476	दरभंगा	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	48	600	600
3	2014-629112	दरभंगा	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	83	1037	1038
4	2014-628919	दरभंगा	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	150	1950	1950
5	2014-616284	दरभंगा	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	01	200	200
6	2014-606061	दरभंगा	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	01	25	25
7	W425591	समस्तीपुर	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	01	200	200
			कुल	355	5032	5007

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 09/2022



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated : 29.08.2022

**Principal Chief Commercial Manager
&
Principal Chief Operation Manager
East Central Railway
Hajipur.**

**Sub:- Overloading detected in SLR of Train No. 11062 on
20.05.2022 at Parcel Office LTT during preventive
check by Vigilance Team of C. Rly.**

Ref:- GM (Vig)/C.Rly letter No. G.130/PC/V1/V.Con/(2022/02
01996) Dated 22.06.2022

During weighment of inward parcels at LTT on 20.05.2022,
overloading detected in SLR of Train No. 11062, having capacity of
3.9 tonnes. Total excess weight of 1132 kg was found booked from
three different locations of ECR as under-

S. No.	PW Bill No.	From-To	No. of Pkg. booked	Booed wt. (in KG)	RF wt. Of unloaded Pkgs
1	A847127	JYG-LTT	71	1020	994
2	2014-629476	DBG-LTT	48	600	600
3	2014-629112	DBG-LTT	83	1037	1038
4	2014-628919	DBG-LTT	150	1950	1950
5	2014-616284	DBG-LTT	01	200	200
6	2014-606061	DBG-LTT	01	25	25
7	W425591	SPJ-LTT	01	200	200
		Total	355	5032	5007

Action taken in the regard may kindly be intimated to this office.

Truth can be stated in a thousand different ways yet each one can be true.

[illegible]

भ्रष्टाचार एक रोग

जात धर्म, ऊँच-नीच, सच-झूठ पर एक ही नारा भारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी।

गलत सही, भेद—भाव और मक्कारी पर एक ही नारा भारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी ।

शपथ सत्य की लो, निष्ठा से कर्म करो भारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी ।

नेक नियति पर विश्वास का आवरण हो धारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी ।

राष्ट्र के उत्थान में हो हर तरह से भागीदारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी ।

एक सीख जीवन भर के लिए हो धारी,

भ्रष्टाचार से मत करो यारी ।

भ्रष्टाचार जड़ से मिटाना है,

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है।

[illegible]

भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत

 महादेव कुमार मंडल, जाँच निरीक्षक/पूमरे

वीर महापुरुषों ने सींचा, देकर जिसको अपना रक्त
ऋषि-मुनि की गौरवगाथा, जिसमें त्याग तपस्या रत
आदिकाल से ही समृद्ध था, और एक था आर्यावर्त
लौह-पुरुष का था जो सपना,

हम सबकी भी बनी है चाहत

भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत-----२

राज्य-प्रदेश हैं फूल सरीखे, देश है फूलों की माला
कुदरत ने भी **हिन्द** को देखो, एकसूत्र में है ढाला
दुनिया के सिरमौर बने हम, है हम में पूरी क्षमता
कितने ही आक्रमण झेले पर, कायम अब तक समरसता
बाँह पसारे खुले ही मन से,

करते हैं हम सबका स्वागत

भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत-----२

रेल ने जोड़ा गाँव शहर सब, स्टेशन से स्टेशन
और भी समृद्ध हो जायेगा, अब तो है बस यही मिशन
रेल बढ़ेगा, मेल बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा देश मेरा
विश्व पटल पर नं० 1 हो, यही है इच्छा शेष मेरा
भ्रस्ताचार मुक्त रेल से देव को,

दिखती है इसकी सुगबुगाहट

भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत-----२

*

तटस्थ हो सुलझाते उसे, करते भले चुनौती फेस
 रखते नहीं कभी किसी से, पूर्वाग्रह या ईर्ष्या-द्वेष
 एक लक्ष्य साधकर, हर निशाने को तभी भेदता
 अनेकता में एकता, का रूप है सत्कर्ता ———२
 अनेकता में एकता, स्वरूप है सत्कर्ता ———२

सतर्कता ने लागू करवाए, कितने ही प्रणाली सुधार
चेकलिस्ट भी बनवाये जिसका, हो रहा है व्यवहार
क्या करें ना करें से, गलतियाँ कम हो रहे लगातार
हमने किये प्रयास निरंतर, तभी कम हुए भ्रष्टाचार
फिर भी खत्म हुआ नहीं पूरा, है **देव** को खटकता
अनेकता में एकता, का रूप है सतर्कता ———२
अनेकता में एकता, स्वरूप है सतर्कता ———२

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- * जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- * ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- * सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- * जनहित में कार्य करूँगा;
- * अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- * भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।



स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

Disclaimer

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever the original orders on the subjects.



सतर्कता संगठन
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
पारदर्शिता हेतु सतत प्रयासरत एवं कटिबद्ध